

- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

## RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

### Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	57857.74
2	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

### Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	<b>Overseas</b>	NIL
	Fund Based Credit Exposures	
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	<b>Domestic</b>	57857.74
	Fund Based Credit Exposures	
	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

## INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - ₹/ Crores

INDUSTRY	FUNDED	NON FUND	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	837.53	107.98	945.51
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	2.04	86.19	88.23
A.2 MINING OTHERS	835.49	21.79	857.28
B.FOOD PROCESSING	1176.84	26.43	1203.27
B.1 SUGAR	187.80	18.37	206.16
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	112.57	0.57	113.14
B.3 TEA	0.28	0.00	0.28
B.4 COFFEE	0.00	0.00	0.00
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	876.19	7.49	883.68
C.BEVERAGES & TOBACCO	484.77	18.04	502.81
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	0.59	0.00	0.59
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	484.18	18.04	502.22
D.TEXTILES	1412.67	58.35	1471.02
D.1 COTTON	633.38	43.20	676.58
D.1.1 SPINNING	570.63	32.70	603.33
D.2 JUTE	2.93	0.00	2.93
D.2.1 SPINNING	1.17	0.00	1.17
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	21.12	0.08	21.20
D.3.1 SPINNING	3.07	0.00	3.07
D.4 SILK	39.97	5.11	45.08
D.4.1 SPINNING	31.24	0.59	31.83

घ.5 वूलन	40.30	0.07	40.37
घ.5.1 स्पिनिंग	27.30	0.05	27.35
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	674.98	9.89	684.87
ङ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	136.02	3.46	139.48
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	93.19	3.19	96.38
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	102.27	1.29	103.56
ज. पेट्रोल/ कोयला/नाभकीय ईंधन	60.81	0.29	61.10
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	520.11	17.12	537.23
झ.1 फर्टीलाइजर	135.86	0.00	135.86
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	266.17	6.04	272.21
झ.3 पेट्रोल -रसायन	64.59	6.62	71.21
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	53.48	4.47	57.94
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	196.54	20.57	217.10
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	12.11	0.31	12.42
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	252.13	14.36	266.48
ढ. मूल धातु-धातु उत्पाद	2433.65	195.70	2629.35
ढ.1 लोहा और स्टील	1662.38	35.65	1698.03
ढ.2 अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	771.27	160.05	931.32
ण. समस्त इंजीनियरिंग	672.24	135.53	807.77
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	61.66	9.35	71.01
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग-अन्य	610.58	126.18	736.75
त. वाहन/वाहन कलपुर्ज / टीपीटी औजार	300.00	127.40	427.40
थ. रतन और आभूषण	67.88	225.43	293.30
द. निर्माण	828.69	329.55	1158.24
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	18164.82	895.95	19060.78
ध.1 ट्रांसपोर्ट	1740.74	338.94	2079.68
ध.1.1 रेलवे	45.82	43.80	89.61
ध.1.2 रोडवेज	1256.47	275.27	1531.74
ध.1.4 वाटरवेज	18.36	0.47	18.83
ध.1.5 अन्य	420.10	19.40	439.50
ध.2 ऊर्जा	12459.97	468.96	12928.93
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा. / टीआरएमएन / डीटीबी)	12433.73	468.96	12902.69
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी / पाइपलाईन)	26.23	0.01	26.24
ध.2.3 गैस एलएनजी एसटीआरजी / पाइपलाईन	0.01	0.00	0.01
ध.3 टेलीकम्यूनिकेशन	334.34	8.44	342.78
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	3629.77	79.62	3709.39
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	1042.60	13.71	1056.32
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	2587.17	65.90	2653.07
न. अन्य उद्योग	185.62	29.78	215.40
प. अवशिष्ट	29919.88	1222.70	31142.58
प. क शिक्ष ऋण	231.79	0.34	232.13
प.ख विमानन क्षेत्र	870.89	0.19	871.08
<b>कुल योग</b>	<b>57857.74</b>	<b>3433.43</b>	<b>61291.17</b>

#### उल्लेखनीय ऋण जोखिम

उद्योग जहां कुल ऋण जोखिम, कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

D.5 WOOLEN	40.30	0.07	40.37
D.5.1 SPINNING	27.30	0.05	27.35
D.6 TEXTILE-OTHERS	674.98	9.89	684.87
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	136.02	3.46	139.48
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	93.19	3.19	96.38
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	102.27	1.29	103.56
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	60.81	0.29	61.10
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	520.11	17.12	537.23
I.1 FERTILISERS	135.86	0.00	135.86
I.2 DRUGS AND PHARMA.	266.17	6.04	272.21
I.3 PETRO-CHEMICALS	64.59	6.62	71.21
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- O	53.48	4.47	57.94
J.RUBBER, PLASTIC & ITS PROD.	196.54	20.57	217.10
K.GLASS & GLASSWARE	12.11	0.31	12.42
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	252.13	14.36	266.48
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2433.65	195.70	2629.35
M.1 IRON & STEEL	1662.38	35.65	1698.03
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	771.27	160.05	931.32
N.ALL ENGINEERING	672.24	135.53	807.77
N.1 ELECTRONICS	61.66	9.35	71.01
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	610.58	126.18	736.75
O.VEHICLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	300.00	127.40	427.40
P.GEMS & JEWELLARY	67.88	225.43	293.30
Q.CONSTRUCTIONS	828.69	329.55	1158.24
R.INFRASTRUCTURE	18164.82	895.95	19060.78
R.1 TRANSPORT	1740.74	338.94	2079.68
R.1.1 -RAILWAYS	45.82	43.80	89.61
R.1.2 -ROADWAYS	1256.47	275.27	1531.74
R.1.4 -WATERWAYS	18.36	0.47	18.83
R.1.5 -OTHERS	420.10	19.40	439.50
R.2 ENERGY	12459.97	468.96	12928.93
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	12433.73	468.96	12902.69
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	26.23	0.01	26.24
R.2.3 -GAS/LNG STRG/PIPELINE	0.01	0.00	0.01
R.3 TELECOMMUNICATION	334.34	8.44	342.78
R.4 INFRA-OTHERS	3629.77	79.62	3709.39
R.4.1 -WATER SANITATION	1042.60	13.71	1056.32
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	2587.17	65.90	2653.07
S.OTHER INDUSTRIES	185.62	29.78	215.40
T.RESIDUARY	29919.88	1222.70	31142.58
T.a EDUCATION LOAN	231.79	0.34	232.13
T.b AVIATION SECTOR	870.89	0.19	871.08
Grand Total	<b>57857.74</b>	<b>3433.43</b>	<b>61291.17</b>

### Significant Exposure

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

क्रम सं०	उद्योग	प्रकटीकरण
1	बुनियादी सुविधाएं	19060.78
2	अवशिष्ट	31142.58

### आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधि	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2 दिन से 7 दिन	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8 दिन से 14 दिन	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15 दिन से 28 दिन	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 दिनों से 3 माह	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
5 वर्षों से अधिक	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
कुल योग	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

### एन-पी-ए- की राशि(सकल)

	श्रेणी	राशि-रु/-करोड़
1.	अवस्तरीय	1494.81
2.	संदिग्ध 1	672.15
3.	संदिग्ध 2	346.99
4.	संदिग्ध 3	13.33
5.	हानि	26.24

### निवल:- एन.पी.ए.

निवल:- एन.पी.ए.	1918-60
-----------------	---------

### एन-पी-ए-अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	4.41%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	3.35%

### एन-पी-ए-(सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु / करोड़
अथशेष	1536.90
जमा	1619.61
कमी	602.99
हानिशेष	2553.52

Amt. - ₹/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	19060.78
2	Residuary	31142.58

### RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - ₹/ Crores

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency Liabilities	Foreign Currency Assets	Deposits	Borrowings
	Next 1 Day	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18
2 Days To 7 Days	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8 Days To 14 Days	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15 Days To 28 Days	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 Days To 3 Months	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
Over 3 Months To 6 Months	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
Over 6 Months To 1 Year	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
Over 1 Year To 3 Years	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
Over 3 Years To 5 Years	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
Over 5 Years	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>57239.07</b>	<b>28294.11</b>	<b>306.51</b>	<b>578.98</b>	<b>84730.17</b>	<b>2305.04</b>

### Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Substandard	1494.81
2	Doubtful 1	672.15
3	Doubtful 2	346.99
4	Doubtful 3	13.33
5	Loss	26.24

### Net NPAs

Amt. - ₹/ Crores

Net NPAs	1918.60
----------	---------

### NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.41%
2	Net NPAs to Net advances	3.35%

### Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	1536.90
Additions	1619.61
Reductions	602.99
Closing Balance	2553.52

**एन-पी-ए- हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

	राशि- रु/करोड़
अथ शेष	412.56
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	564.68
बढ़े खाते खोलना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	358.57
इतिशेष	618.67

**गैर-निष्पादित निवेशों की राशि**

	राशि. रु / करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	59.04

**गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि**

	राशि- रु/करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	33.45

**निवेश पर मूल्य घास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

	राशि. रु / करोड़
अथ शेष	22.73
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9.55
बढ़े खाते खोलना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	13.23
इतिशेष	19.05

**तालिका डी.एफ. 4 – ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण**

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए किसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल-II के अंतर्गत किसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
6. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

### Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	412.56
Provisions made during the period	564.68
Write-off	358.57
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	618.67

### Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - ₹/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	59.04

### Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - ₹/ Crores
Provisions held for non-performing investments	33.45

### Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	22.73
Provisions made during the period	9.55
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	13.23
Closing Balance	19.05

## Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

### Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.

3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

7. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा।  
बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
9. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
  - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
  - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

जोखिम भार श्रेणी	निर्धारित ऋण जोखिम	गैर-निर्धारित ऋण जोखिम	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100: जोखिम भार से कम	10509.08	21754.30	32263.37
100: जोखिम भार	5765.27	14377.32	20142.59
100: जोखिम भार से अधिक	4582.26	1539.32	6121.57
कटौती	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>20856.61</b>	<b>37670.94</b>	<b>58527.53</b>

## तालिका डी.एफ. 5.

### ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाश्विक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियों



7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the *unrated short-term* claim on counterparty attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counterparty. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
  - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari-passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
  - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari-passu* or junior to the rated exposure in all respects.

#### Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - ₹/ Crores

Risk Weight Category	Rated Exposure	Un-Rated Exposure	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	10509.08	21754.30	32263.37
100 % risk weight	5765.27	14377.32	20142.59
More than 100 % risk weight	4582.26	1539.32	6121.57
Deducted	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20856.61</b>	<b>37670.94</b>	<b>58527.53</b>

**Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES**

#### 1. Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) and Basel III are as follows:
  - Collateralised transactions
  - On-balance-sheet-netting
  - Guarantees

## 2. पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
- 9) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

सम्पार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

## 3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सम्पार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-III के अनुसार पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में ये शामिल हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित हैं बी.बी.बी.-अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए-अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त 2491.56 करोड़ रूपए

## तालिका डी.एफ. 6. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण

## 2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii) Securities issued by Central and State Governments
- iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v) Life insurance policies
- vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii) Units of mutual funds subject to conditions
- ix) Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

## 3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

## 4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii) Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii) When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ 2491.56 crore

## Table DF 6- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

### Qualitative Disclosures

## आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की नीति के उद्देश्य

### संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से ) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।
- 2- **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन** : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।  
बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।  
मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) 78.69 करोड़ रूपए

### तालिका डी.एफ. 7. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों के अनुसार प्रबंधन किया जाता है जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

#### बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- परिसमाप्ति का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि. रू/ करोड़
ब्याज दर जोखिम	175.54
शेयर स्थिति जोखिम	37.25
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

### तालिका डी.एफ. 8. परिचालनगत जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

## Objective of Policy on Securitization of Assets

### 1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

**2. For Deploying Surplus Funds:** Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Exposure (Balance Outstanding) under Securitisation (Assignment) of Standard Pool Assets – ₹ 78.69 crore

## Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

### Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

### Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

### Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - ₹/ Crores
Interest rate risk;	175.54
Equity position risk;	37.25
Foreign exchange risk;	0.77

## Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

### Qualitative disclosures

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक-मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है। परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है। 3 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

## तालिका डी.एफ. 9. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

#### क) जोखिम पर आय

राशि- रु / -करोड़

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	81- 71
--	--------

#### ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)-6.81 प्रतिशत

### तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन-देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है। बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and the “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting “Loss Data”.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach” for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

### Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

#### Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/ structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank’s assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

#### Quantitative Disclosures

##### a) Earning at Risk

Amt. - ₹/ Crores

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	81.71
---	-------

##### b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 6.81%

### Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

#### Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure. Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

**मात्रात्मक**

**बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।**

(करोड़ -रूपए/- में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदशी मुद्रा संविदाएं	7104.90	221.65

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोजर)/लेन -देन में नहीं है।

**तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना**

(करोड़ -रूपए/- में)

क्रम सं.	विनियामक समायोजनों के संक्रमण अर्थात् 31 मार्च 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक के दौरान बासल III के अंतर्गत आम प्रकटीकरण हेतु टैम्पलेट	राशि बासल III के लागू होने से पूर्व	संदर्भ सं.
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: सहायक व आरक्षित		
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूंजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	979.26	
2	प्रतिधारित उपार्जन	183.21	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	2818.06	
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूंजी	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	0.00	
<b>6</b>	<b>विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी</b>	<b>3980-53</b>	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.05	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूंजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	13.47	



## Quantitative

### Bank does not recognize bilateral netting

₹in Crores

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	7104.90	221.65

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

### Table DF 11 – Composition of Capital

₹in Crores

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject To Pre Basel III Treatment	Ref No.
S. No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	979.26	
2	Retained earnings	183.21	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2818.06	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies <sup>1</sup> ) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
<b>6</b>	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>3980.53</b>	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.05	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	13.47	

18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसारए (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं		
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	संबंधित नहीं		
22	आरम्भिक 15प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं		
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं		
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं		
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों	संबंधित नहीं		
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	69.08		
26ए	असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कम्पनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0		
26बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के इक्विटी पूँजी में कमी	0		
26सी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	69.08		
	<b>बासल III लागू होने से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन</b>	<b>82.60</b>		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अमूर्त हानि हटाने के बाद (भारतीय संदर्भ में लागू नहीं)	.		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों,	.		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अमूर्त आस्तियां,	.		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य इक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	.		
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	82.60		
29	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीर्डटी1)</b>	<b>3897.93</b>		
	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत</b>			
30	प्रत्यक्षत: जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31+32)	360.00		
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन इक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	200.00		
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	160.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षत: जारी पूँजी लिखत	288.00		

18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		
20	Mortgage servicing rights <sup>4</sup> (amount above 10% threshold)	Not Relevant		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences <sup>5</sup> (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Not Relevant		
22	Amount exceeding the 15% threshold	Not Relevant		
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Not Relevant		
24	of which: mortgage servicing rights	Not Relevant		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Not Relevant		
26	National specific regulatory adjustments (26a + 26b + 26c)	69.08		
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries	0		
26b	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26c	Unamortised pension funds expenditures	69.08		
	<b>REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT</b>	<b>82.60</b>		
	OF WHICH: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	OF WHICH: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
	OF WHICH: intangible assets	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	82.60		
<b>29</b>	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>3897.93</b>		
	<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31 + 32)	360.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	200.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	160.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	288.00		

34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00		
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00		
36	<b>विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी</b>	<b>288.00</b>		
	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन</b>			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10: से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
41	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन	0.00		
41ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियोंए जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के अतिरिक्त टियर1 पूँजी में कमी	0.00		
41बी	बासल III लागू होने से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	103.69		
	जिसका समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ डीटीए,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर-1 से काटा गया है,	0.08		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	103.61		
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन			
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	103.69		
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	184.31		
44ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	184.31		
45	<b>(टियर-1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29+ पंक्ति 44ए)</b>	<b>4082.24</b>		
	<b>टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान</b>			
46	प्रत्यक्षत: जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00		
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतरु जारी पूँजी लिखत	1132		
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00		
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00		
50	प्रावधान	726.62		
51	<b>विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी</b>	<b>1858.62</b>		
	<b>टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन</b>			
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00		

34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
<b>36</b>	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>288.00</b>		
	<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
41b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	103.69		
	OF WHICH: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
	OF WHICH: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.08		
	OF WHICH:	103.61		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	103.69		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	184.31		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	184.31		
<b>45</b>	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)</b>	<b>4082.24</b>		
	<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1132		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions	726.62		
<b>51</b>	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>1858.62</b>		
	<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		

53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	26.80		
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00		
56बी	बासल III लागू होने से पूर्व टियर 2 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	26.80		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर-2 से काटा गया है,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
57	<b>टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन</b>	<b>26.80</b>		
58	<b>टियर-2 पूँजी (टी2)</b>	<b>1831.82</b>		
58ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया टियर-2 पूँजी	1831.82		
58बी	टियर-2 के रूप में रखी गयी अन्य अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	0.00		
58सी	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकृत कुल टियर-2 पूँजी (पंक्ति 58ए+पंक्ति 58बी)	1831.82		
59	<b>कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)</b>	<b>5914.06</b>		
	<b>बासल.III लागू होने से पूर्व जोखिम भारित आस्तियां से संबद्ध राशि</b>	<b>53591.17</b>		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,			
	जिसका:			
60	<b>कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)</b>	<b>53591.17</b>		
60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	47898.61		
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	2372.78		
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	3319.78		
	पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.27:		
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.62:		
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.04:		
64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.00:		
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	0		
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0		
67	जिसका: जी.एसआईबी बफर आवश्यकता	0		

53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	26.80		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a + 56b)	0.00		
56a	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE BASEL III TREATMENT	26.80		
	OF WHICH: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	0.00		
	OF WHICH:	0.00		
<b>57</b>	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	<b>26.80</b>		
<b>58</b>	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	<b>1831.82</b>		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	1831.82		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	1831.82		
<b>59</b>	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (row 45 + row 58c)</b>	<b>5914.06</b>		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	53591.17		
	OF WHICH:			
	OF WHICH: ...			
<b>60</b>	<b>Total risk weighted assets (row 60a + row 60b + row 60c)</b>	<b>53591.17</b>		
60a	of which: total credit risk weighted assets	47898.61		
60b	of which: total market risk weighted assets	2372.78		
60c	of which: total operational risk weighted assets	3319.78		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.27%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.62%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.04%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0		

68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.27:		
<b>राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)</b>				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.00:		
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	6.50:		
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00:		
कठौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)				
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	भारत में लागू नहीं		
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)			
<b>टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा</b>				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	352.78		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	669.89		
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
<b>फ़ेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)</b>				
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)	भारत में लागू नहीं		
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			

### तालिका डी.एफ.12 पूँजी का संयोजन-समाधान अपेक्षाए

a

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

डी-एफ-13-विनियामक पूँजी लिखतों मुख्य विशेषताएं



68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.27%		
<b>National minima (if different from Basel III)</b>				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0		
73	Significant investments in the common stock of financials	0		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	Not applicable in India		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	352.78		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	669.89		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
<b>Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)</b>				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements			
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements			
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			

**Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-**

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

**Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments**

		टियर-I पूंजी	
क्रम संख्या	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	पी.एन.सी.पी.एस (सतत असंचयी अधिमान शेयर)=200 करोड़ रूपए	आई.पी.डी.आई/पी.डी.आई=160 करोड़ रूपए
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकता (अर्थात् सी.यू.एस.आई.पी.ए आई.एस.आई.एन. अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकता)	आई.एन.ई.608ए04024	आई.एन.ई.608 ए 09106
3.	लिखत के शासी विधान	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980
	विनियामक व्यवहार		
4.	ट्रांजिशनल 1ेसल.III नियम	ए.टी.1	ए.टी.1
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बासल.III नियम	ए.टी.1	ए.टी.1
6.	एकल/समूह/समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	सतत असंचयी अधिमान शेयर	सतत ऋण लिखत
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि.करोड़ों रूपयों में (बिलकुल अभी की रिपोर्टिंग तिथि पर)	आई.एन.आर.160 करोड़	आई.एन.आर.128 करोड़
9.	लिखत का सममूल्य	10 रूपए	10,00,000 रूपए
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	शेयर धारकों की इक्विटी	देयता (ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	22.12.2008	22.12.2008
12.	सतत अथवा दिनांकित	सतत	सतत
13.	मूल परिपक्वता तिथि	परिपक्वता की कोई तिथि नहीं	परिपक्वता की कोई तिथि नहीं
14.	जारी कर्ता की कॉलए पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश		
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	परिवर्तनीय(फ्लोटिंग)	परिवर्तनीय(फ्लोटिंग)
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	रिपो रेट. 100बीपीएस	10 वर्ष जी.सैक. 250 बीपीएस
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी हाँ	जी नहीं
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार	अनिवार्य
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं
22.	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	असंचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं

		Tier I Capital	
Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	PNCPS(perpetual non-cumulative preference shares)= 200 crore	IPDI/ PDI= 160 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A04024	INE608A09106
3	Governing law(s) of the instrument	Banking companies( acquisition and transfer of undertakings ) act 1980	Banking companies( acquisition and transfer of undertakings ) act 1980
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	AT-1	AT-1
5	Post-transitional Basel III rules	AT-1	AT-1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Non-cumulative Preference shares.	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	INR 160 Crores	INR 128 Crores
9	Par value of instrument	Rs 10	Rs 1000000
10	Accounting classification	Shareholders' Equity	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	22.12.2008	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	floating	floating
18	Coupon rate and any related index	Repo rate + 100 bps	10 year G-sec + 250 bps
19	Existence of a dividend stopper	YES	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA

29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34-	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35-	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	i) जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार ii) सभी तरह के टियर.2की नियामक पूंजी गौण ऋण तथा पी.सी.पी.एस. iii) पी.डी.आई	i) जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार ii) सबॉर्डिनेटेड ऋण/ पी-सी-पी-एस-
36-	संक्रमणकालीन अननुपालन	जी हां	जी हां
37-	यदि हां तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा

30	Write-down feature	NO	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	i) Depositors & general creditors ii) All tier 2 regulatory capital -Subordinated debt & PCPS iii) PDI	i) Depositors & general creditors ii) Subordinated Debt / PCPS
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.

		टियर-2 बाण्डस (सबाडिनिट ऋण लिखत)						
क्रम संख्या	टियर-2 पूंजी	सीरीज-VI=40करोड़ बैंक	सीरीज-VIII=150करोड़ बैंक	सीरीज-IX=100करोड़ बैंक	सीरीज-X=400करोड़ बैंक	सीरीज-XI=175करोड़ बैंक	सीरीज-XII=200करोड़ बैंक	सीरीज-XIII=300करोड़ बैंक
1-	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट(डिसक्लोजर टेम्पलेट) जारीकर्ता	पी-सी-पी-एस(सतत संचयी अधिमान शेयर)=200 करोड़	आई-एन-आई-608र09064	आई-एन-आई-608र09072	आई-एन-आई-608र09080	आई-एन-आई-608र09098	आई-एन-आई-608र09114	आई-एन-आई-608र09122
2-	यूनिक पहचानकर्ता(अर्थात् सी-यू-एस-आई-पी, आई-एस-आई-एन-अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आई-एन-आई-608र04016	आई-एन-आई-608र09064	आई-एन-आई-608र09072	आई-एन-आई-608र09080	आई-एन-आई-608र09098	आई-एन-आई-608र09114	आई-एन-आई-608र09122
3-	लिखत के शासी विधान	बैंकिंग कंपनियों (आई प्राहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980	प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) 1980

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Tier II Bonds (Subordinated Debt Instruments)							
		Tier II Capital PCPS( Perpetual cumulative Preference Shares) = 200 crore	SERIES- VII = 40 crore	Series- VIII = 150 crore	Series- IX = 100 crore	Series- X = 400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII = 200 crore	SERIES- XIII = 300 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A04016	INE608A09064	INE608A09072	INE608A09080	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130
3	Governing law(s) of the instrument	Banking companies( acquisition and transfers of undertakings ) act 1980	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1970, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.







21-	स्टेप-अप की ब्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
22-	असंचयी अथवा संचयी	संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23-	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24-	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25-	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26-	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27-	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28-	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29-	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30-	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
31-	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32-	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33-	अवलेखन की दशा में स्थायी है अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34-	यदि अस्थायी अवलेखन है तो आवेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
21	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
22	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
23	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24	If convertible, fully or partially convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, specify instrument type	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	convertible into										
28	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
30	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34											

35-	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)
36-	संक्रमण कालीन अननुपालन स्वरूप	जी हॉ	जी हॉ	जी हॉ	जी हॉ	जी हॉ	जी हॉ
37-	यदि हॉ तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा



35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument) Non-compliant transitioned features	i) Depositors & general creditors	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))
36		YES	YES Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	YES Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	YES	YES	YES Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.

## तालिका डी-एफ-14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

### 1 बाण्ड निर्गमन – VII 40 करोड़ रूपए वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 40 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VII) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 1,00,000 रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के भी अध्याधीन होंगे।

### बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VII) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋण धारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

### लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नज़र

इश्यू का आकार	40.00 करोड़ रूपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर.ए पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित, अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज ड्यूट)
लिखत का रूप	डीमेट फार्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल.ए.” रेटिंग . इक्रा (आई. सी. आर.ए.), द्वारा
अंकित मूल्य	1ए00ए000 / प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1,00,000 / प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	10 बाण्ड और उसके बाद 10 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	109 महीने
पुट एवं काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्वता	सम मूल्य पर – आबंटन की मानी गई तिथि से 109 महीनों के अंत में
कूपन दर (प्रति वर्ष)	7.40:
ब्याज देयता	वार्षिक – 15 मई को
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.) पर
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक (कों)की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर- चैक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि से एक दिन पूर्व तक

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

## Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

### 1. BOND ISSUE – VII RS. 40 CRORE

#### TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes of Rs. 1,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 40.00 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange(s) or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

#### NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari-passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards repayment of principal and interest by the Bank. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder and without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

#### INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 40.00 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	'LA' by ICRA
Face Value	Rs. 1,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs. 1,00,000/- per Bond)
Minimum Application	10 Bonds and in multiples of 10 Bonds thereafter
Tenure	109 months
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 109 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate (% p.a.) *	7.40%
Interest Payment	Annually on May 15
Listing	Proposed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

\* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

## 2. बाण्ड निर्गमन – VIII 150 करोड़ रूपए

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों (अत्यभिदान की राशि रखने के विकल्प के साथ) के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/- रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के भी अध्याधीन होंगे।

### बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

### एक नज़र में लिखत तथा जारी करने का विवरण

इश्यू का आकार	रूपए 100.00 करोड़ (अत्यभिदान की राशि रखने के विकल्प के साथ)
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर-II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII)
लिखत का रूप	डीमेट फार्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "ए.ए-" तथा इक्रा (आई.आर.सी.ए.) द्वारा "एल.ए+ "
अंकित मूल्य	10,00,000/. प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 10,00,000. प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	117 माह
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयताध परिपक्वता	सम मूल्य पर-आबंटन की मानी गई तिथि से 117 महीनों के अंत में
कूपन दर: प्रति वर्षाद्ध	9.25%
ब्याज देयता	वार्षिक –15 मई को
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई) पर
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीषिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर – चैक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

## 3-बाण्ड निर्गमन – IX 100 करोड़ रूपए



## 2. BOND ISSUE – VIII RS. 150 CRORE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100.00 crores with an option to retain oversubscription.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange(s) or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

### NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari-passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards repayment of principal and interest by the Bank. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder and without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

### INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100.00 crores with an option of retain oversubscription
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	"AA-" by CRISIL and "LA+" by ICRA
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bonds and in multiples of 1 Bonds thereafter
Tenure	117 months
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 117 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate (% p.a.) *	9.25% p.a.
Interest Payment	Annually on May 15th
Listing	Proposed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

\* subject to deduction of tax at source, as applicable.

## 3. BOND ISSUE – IX RS. 100 CRORE

## वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज -IX) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000 / .रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, कंपनी अधिनियम 1956 ए प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

## बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज ट्रूप) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/ भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

## इश्यू का उद्देश्य

बैंक के टियर-ए पूंजी में वृद्धि के लिए वर्तमान बाण्डों को जारी किया जा रहा है ताकि बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता सुदृढ़ हो सके और बैंक के दीर्घावधिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान इश्यू पर होने वाले व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। जिन गतिविधियों को करने के लिए वर्तमान इश्यू के माध्यम से निधियाँ सर्जित की जा रही हैं उनके लिए एवं बैंक द्वारा इश्यू की तिथि तक की जा रही गतिविधियों के लिए बैंक के संस्थापन प्रलेख का मुख्य उद्देश्य खंड सामर्थ्य प्रदान करता है। इस इश्यू से जुटाई गयी धनराशि का बैंक द्वारा अपनी नियमित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

## लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नज़र

इश्यू का आकार	100 करोड़ रूपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर-II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज -IX)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	शएल.ए.ए रेटिंग -इक्रा (आई.सी.आर.ए.)द्वारा तथा शए.ए- / स्टेबल रेटिंग-क्रिसिल द्वारा
अंकित मूल्य	10,00,000 / . प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000 / . प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष तथा 3 महीने (123 महीने)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता	सम मूल्य पर -आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष तथा 3 महीने के अंत में।
कूपन दर*	9.10% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	अर्ध-वार्षिक
ब्याज भुगतान की तिथियाँ	प्रत्येक वर्ष की 15 मई तथा 15 नवम्बर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-) पर।

## TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-IX) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

## NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards payment of interest and repayment of principal by the Bank out of its own funds. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

## OBJECTS OF THE ISSUE

The present issue of bonds is being made for augmenting the Tier-II Capital of the Bank for strengthening its Capital Adequacy and for enhancing the long-term resources of the Bank. The expenses of the present issue would be borne by the Bank. The Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Bank enables it to undertake the activities for which the funds are being raised through the present issue and also the activities which the Bank has been carrying on till date. The proceeds of this Issue would be used by the Bank for its regular business activities.

## INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resource base of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes (Series-IX)
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "AA-/Stable" by CRISIL
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year and 3 Months ( 123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption	At par at the end of 10 Year and 3 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate*	9.10% p.a.
Interest Payment	Semi-Annual
Interest Payment dates	May 15 and November 15 each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)

न्यासी	बैंक की ओर से आई-डी-बी-आई- ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर अर्थात् 9.10% वार्षिक दर से - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

#### 4. बाण्ड इश्यू- X रूपए 400 करोड़

##### संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज़ X)
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए-ए-” - इक्रा (आई-आर-सी-ए.) द्वारा तथा “केयर ए-ए-” - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने(10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	सम मूल्य पर - आबंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	11.05% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित - नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	बैंक की ओर से आइएडी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम.सी.एस. लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 11.05% वार्षिक दर से) - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रााली के माध्यम से
अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चैक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि कोआर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	10-09-2008
इश्यू के बंद होने की तिथि^	12-09-2008
पे-इन डेटस^	10-09-2008 से 12-09-2008

Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate i.e. @ 9.10% p.a. from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

\* subject to deduction of tax at source, as applicable.

#### 4. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE

##### SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " <b>Punjab &amp; Sind Bank</b> " and crossed " <b>Account Payee Only</b> " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " <b>Punjab &amp; Sind Bank RTGS Account</b> " IFSC Code: " <b>PSIB 0000385</b> " for Mumbai and " <b>PSIB 0000001</b> " for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008

आबंटन की मानी गई तिथि^	15-09-2008
------------------------	------------

\*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन ।

\*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

## 5. बाण्ड निर्गमन-XI 175 करोड़ रूपए

### संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड्स) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल.ए.ए” - आई.आर.सी.ए. द्वारा तथा “केयर ए.ए.” - केयर (सी.ए.आर.ई.) द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने(9वां तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	सम मूल्य पर - आबंटन की मानी गई तिथि से 9 वां तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	8-70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई-डी-बी-आई- ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70% वार्षिक दर से) - चैक/ डिमांड ड्रापट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(को)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्रापट/आर-टी-जी-एस-/ ई-सी-एस-प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।

Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008
----------------------------	--------------------

\* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

## 5. BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE

### SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“LAA” by ICRA and “CARE AA” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system

अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चेक(को)/डिमांड ड्राफ्ट(टो) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या ”PSIB 0000385” पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या ”PSIB 0000001” पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि <sup>^</sup>	15-06-2009
इश्यू के बंद होने की तिथि <sup>^</sup>	19-06-2009
पे-इन डेटस <sup>^</sup>	15-06-2009 से 19-06-2009
आबंटन की मानी गई तिथि <sup>^</sup>	26-06-2009

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

<sup>^</sup>बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

## 6-बाण्ड निर्गमन-XII 200 करोड़ रूपए संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए,ए” - आई-आर-सी-ए- द्वारा तथा “ ए-ए-” – क्रिसिल द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने(10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने(123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)





Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of <b>"Punjab &amp; Sind Bank"</b> and crossed <b>"Account Payee Only"</b> payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of <b>"Punjab &amp; Sind Bank RTGS Account"</b> IFSC Code: <b>"PSIB 0000385"</b> for Mumbai and <b>"PSIB 0000001"</b> for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

\* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

## 6. BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE

### VIII. SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "AA" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.

न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिपि सर्विसेज लिमिटेड
निकेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राषि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70 % वार्षिक दर से) - चैक/ डिमांड ड्रापट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(को)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्रापट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चैक(को)/डिमांड ड्रापट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राषि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000385” पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000001” पर इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि^	13.01.2010
पे-इन डेटस^	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि^	15.01.2010

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

### 7-बाण्ड निर्गमन-XIII 300 करोड़ रूपए

#### संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए,ए+” - आई-आर-सी-ए- द्वारा तथा “केयर ए-ए+” - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में(भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)

Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " <b>Punjab &amp; Sind Bank</b> " and crossed " <b>Account Payee Only</b> " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " <b>Punjab &amp; Sind Bank RTGS Account</b> " IFSC Code: " <b>PSIB 0000385</b> " for Mumbai and " <b>PSIB 0000001</b> " for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2010
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

\* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

## 7. BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE

### SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA+" by ICRA and "CARE AA+" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24th October 2021 (subject to prior approval from RBI)

कूपन दर*	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)डिमांड ड्रापट(टों)/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9-73% वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्रापट/आर-टी-जी-एस- प्राणी/ ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से “पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस-खाता” में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या ”PSIB 0000001 ” में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि <sup>^</sup>	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि <sup>^</sup>	24.06.2011
पे-इन डेटस <sup>^</sup>	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि <sup>^</sup>	24.06.2011

\*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

<sup>^</sup>बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

**तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण**

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।

Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	20th June 2011
Issue Closes on ^	24th June 2011
Pay-In Date ^	20th June 2011 to 24th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24th June 2011

\* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

#### **Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-**

**Not applicable to PSU Banks**



पंजाब एण्ड सिंध बैंक  
31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		रूपए	रूपए
पूंजी तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूंजी	1	4752842	4540212
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	45360038	41500803
जमाराशियाँ	3	847301648	706415025
उधार	4	23050423	25400507
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	24626596	26922486
<b>जोड़</b>		<b>945091547</b>	<b>804779033</b>

आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	48344909	32489201
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	14903466	8302906
निवेश	8	282941140	225424808
अग्रिम	9	572390666	514307860
स्थिर आस्तियाँ	10	10027150	8441281
अन्य आस्तियाँ	11	16484216	15812977
<b>जोड़</b>		<b>945091547</b>	<b>804779033</b>
आकस्मिक देयताएं	12	100290718	80116615
वसूली के लिए बिल		12757758	11588513
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची	31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	आय		
	अर्जित ब्याज	79727065	73401243
	अन्य आय	4272808	3942169
	<b>जोड़</b>	<b>83999873</b>	<b>77343412</b>
II.	व्यय		
	व्यय किया गया ब्याज	63521242	56991021

**PUNJAB SIND BANK**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2014**

(000'S OMITTED)

CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	Rs.	Rs.
		AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
Capital	1	4752842	4540212
Reserves & Surplus	2	45360038	41500803
Deposits	3	847301648	706415025
Borrowings	4	23050423	25400507
Other liabilities & Provisions	5	24626596	26922486
<b>TOTAL</b>		<b>945091547</b>	<b>804779033</b>

<b>ASSETS</b>			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	48344909	32489201
Balances with banks & money at call and short notice	7	14903466	8302906
Investments	8	282941140	225424808
Advances	9	572390666	514307860
Fixed Assets	10	10027150	8441281
Other Assets	11	16484216	15812977
<b>TOTAL</b>		<b>945091547</b>	<b>804779033</b>
Contingent Liabilities	12	100290718	80116615
Bills for Collection		12757758	11588513
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014**

(000'S OMITTED)

	SCHEDULE	Rs.	Rs.
		YEAR ENDED 31.03.14 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.13 [Audited]
<b>I. INCOME</b>			
Interest earned	13	79727065	73401243
Other income	14	4272808	3942169
<b>TOTAL</b>		<b>83999873</b>	<b>77343412</b>
<b>II. EXPENDITURE</b>			
Interest expended	15	63521242	56991021



	परिचालन व्यय	16	12473212	10963900
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		4999155	5996289
	<b>जोड़</b>		<b>80993609</b>	<b>73951210</b>
III.	<b>लाभ / हानि</b>			
	अवधि के शुद्ध लाभ / हानि (-)		3006264	3392202
	अग्रानीत लाभ / हानि (-)		15430797	14225065
	<b>जोड़</b>		<b>18437061</b>	<b>17617267</b>
	मूल एवं तुनकृत अर्जन प्रति शेयर		10.69	13.49
IV.	<b>विनियोजन</b>			
	अंतरण :			
	सांविधिक आरक्षित निधियाँ		752500	850000
	पूंजी आरक्षित निधि (निवेश)		118522	93488
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		0	234188
	आरक्षित निवेश		36817	0
	आस्थगित कर देयताएं		234960	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		20000	20000
	प्रस्तावित लाभांश:			
	पीएनसीपीएस		180000	170000
	ईक्विटी		605625	680777
	लाभांश वितरण कर		133517	138017
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		16355120	15430797
	<b>जोड़</b>		<b>18437061</b>	<b>17617267</b>
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

जतिंदरबीर सिंह  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किशोर कुमार साँसी  
कार्यकारी निदेशक

मुकेश कुमार जैन  
कार्यकारी निदेशक

महेश गुप्ता  
निदेशक

एस.पी.बबूता  
निदेशक

एन.राजेन्द्रन  
निदेशक

सुरेश ठाकुर  
निदेशक

संजीव अरोड़ा  
निदेशक

एस.पी.एस.विक्र  
निदेशक

संजय वर्मा  
निदेशक

अनीता कर्णावर  
निदेशक

जी.एस.सचदेवा  
मुख्य महाप्रबंधक

हर्षबीर सिंह  
महाप्रबंधक

आई.एस.भाटिया  
महाप्रबंधक

दीपक मैनी  
महाप्रबंधक

जी.एस.ढल्ल  
महाप्रबंधक

आर.सी. नारायण  
महाप्रबंधक

डी.डी.शर्मा  
महाप्रबंधक

वरिंदर गुप्ता  
महाप्रबंधक

आर.पी.एस.खुराना  
उप महाप्रबंधक

वी.के.मेहरोत्रा  
सहायक महाप्रबंधक

ए.एस.अहूजा  
मुख्य प्रबंधक





	Operating expenses	16	12473212	10963900
	Provisions and contingencies		4999155	5996289
	<b>TOTAL</b>		<b>80993609</b>	<b>73951210</b>
<b>III.</b>	<b>PROFIT/LOSS</b>			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		3006264	3392202
	Profit/ Loss(-) brought forward		15430797	14225065
	<b>TOTAL</b>		<b>18437061</b>	<b>17617267</b>
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		10.69	13.49
<b>IV.</b>	<b>APPROPRIATIONS</b>			
	Transfer to:			
	Statutory Reserve		752500	850000
	Capital Reserve [Investment]		118522	93488
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		0	234188
	Investment Reserve		36817	0
	Deferred Tax Liability		234960	0
	Corporate Social Responsibility Fund		20000	20000
	Proposed Dividend:			
	PNCPS		180000	170000
	Equity		605625	680777
	Dividend Distribution Tax		133517	138017
	Balance carried over to Balance Sheet		16355120	15430797
	<b>TOTAL</b>		<b>18437061</b>	<b>17617267</b>
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

JATINDERBIR SINGH  
CHAIRMAN & MG.DIRECTOR

KISHORE KUMAR SANSI  
EXECUTIVE DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN  
EXECUTIVE DIRECTOR

MAHESH GUPTA  
DIRECTOR

S.P.BABUTA  
DIRECTOR

N.RAJENDRAN  
DIRECTOR

SURESH THAKUR  
DIRECTOR

SANJIV ARORA  
DIRECTOR

S.P.S.VIRK  
DIRECTOR

SANJAY VERMA  
DIRECTOR

ANITA KARNAVAR  
DIRECTOR

G.S.SACHDEVA  
CHIEF GEN.MANAGER

HARSHBIR SINGH  
GEN. MANAGER

I.S.BHATIA  
GEN. MANAGER

DEEPAK MAINI  
GEN. MANAGER

G.S.DHALL  
GEN. MANAGER

R.C.NARAYAN  
GEN. MANAGER

D.D.SHARMA  
GEN. MANAGER

VARINDER GUPTA  
GEN. MANAGER

R.P.S.KHURANA  
DY.GEN.MANAGER

V.K.MEHROTRA  
ASSTT GEN.MANAGER

A.S.AHUJA  
CHIEF MANAGER



समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर.एम.लाल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी)  
साझेदार  
एम.नं. 071448  
एफआरएन 000932सी

(राकेश अग्रवाल)  
साझेदार  
एम. नं. 081808  
एफआरएन 50002एन

कृते बी.के. श्रौफ एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

कृते आर. कोठारी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(एल.के.श्रौफ)  
साझेदार  
एम.नं. 060742  
एफआरएन 302166ई

(राजेश कुमार)  
साझेदार  
एम.नं.090865  
एफआरएन 307069ई

नई दिल्ली  
दिनांक: 10.05.2014

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	<b>अनुसूची 1 – पूंजी</b>	<b>31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>	<b>31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक रु. 10 / . के 75,00,00,000 शेयर	75000000	75000000
II.	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रु.10 / . के 225,00,00,000 शेयर	225000000	225000000
		300000000	300000000
	<b>निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :</b>		
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक रु. 10 / . के 27,52,84,212 शेयर (पिछले वर्ष 25,40,21,189) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10 / . के 22,41,32,212 शेयर (पिछले वर्ष 20,28,69,189 ) सम्मिलित हैं।	2752842	2540212
II.	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी. पी. एस.) केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10 / . के 20,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 20,00,00,000)	2000000	2000000
	<b>कुल</b>	<b>4752842</b>	<b>4540212</b>



**As per our Report of even date**

For R. M. Lall & Co.  
Chartered Accountants

(R. P. Tewari)  
Partner  
M. No. 071448  
FRN : 000932C

For B. K. Shroff & Co.  
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)  
Partner  
M. No. 060742  
FRN : 302166E

For O. P. Tulsyan & Co.  
Chartered Accountants

(Rakesh Agarwal)  
Partner  
M. No. 081808  
FRN : 500028N

For R. Kothari & Co.  
Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)  
Partner  
M. No. 090865  
FRN : 307069E

New Delhi  
May 10, 2014

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 1-CAPITAL</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
I)	Authorised Capital: Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II)	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	<b>Issued, Subscribed and Paid-up Capital:</b>		
i)	Equity Share Capital 27,52,84,212 (Previous Year 25,40,21,189) shares of Rs.10/- each [including 22,41,32,212 (Previous Year 20,28,69,189) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	2752842	2540212
ii)	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 20,00,00,000 (Previous Year 20,00,00,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government	2000000	2000000
	<b>TOTAL</b>	<b>4752842</b>	<b>4540212</b>

		रूपए	रूपए
		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथशेष	8259406	7409406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	752500	850000
	<b>उप-योग</b>	<b>9011906</b>	<b>8259406</b>
II.	पूंजी आरक्षित निधि –		
	क) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियां)		
	अथशेष	7065699	7295071
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1479579	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-237688	-229372
	<b>उप-योग</b>	<b>8307590</b>	<b>7065699</b>
	ख) पूंजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	2604207	2510719
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	118522	93488
	<b>उप-योग</b>	<b>2722729</b>	<b>2604207</b>
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथशेष	6254625	5055257
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	787370	1201868
	घटा: शेयर निर्गम व्यय	-2188	-2500
	<b>उप-योग</b>	<b>7039807</b>	<b>6254625</b>
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
	क) सामान्य आरक्षितियाँ		
	अथशेष	1089107	1089107
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	<b>उप-योग</b>	<b>1089107</b>	<b>1089107</b>
	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	<b>उप-योग</b>	<b>105700</b>	<b>105700</b>
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत		
	अथशेष	691262	457074
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	234188
	<b>उप-योग-(IV) ग</b>	<b>691262</b>	<b>691262</b>
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथशेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	36817	0

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 2-RESERVES &amp; SURPLUS</b>	<b>AS ON</b>	<b>AS ON</b>
		<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
<b>I.</b>	<b>Statutory Reserves</b>		
	Opening Balance	8259406	7409406
	Addition during the year	752500	850000
	<b>Sub-Total-I</b>	<b>9011906</b>	<b>8259406</b>
<b>II.</b>	<b>Capital Reserves:</b>		
	<b>a.Revaluation Reserve (Fixed Assets)</b>		
	Opening Balance	7065699	7295071
	Add: Addition during the year	1479579	0
	Less: Deduction during the year	-237688	-229372
	<b>Sub-Total-II.a</b>	<b>8307590</b>	<b>7065699</b>
	<b>b.Capital Reserve [Investments]</b>		
	Opening Balance	2604207	2510719
	Add: Addition during the year	118522	93488
	<b>Sub-Total-II.b</b>	<b>2722729</b>	<b>2604207</b>
<b>III.</b>	<b>Share Premium:</b>		
	Opening Balance	6254625	5055257
	Add: Addition during the year	787370	1201868
	Less: Share Issue Expenses	-2188	-2500
	<b>Sub-Total-III</b>	<b>7039807</b>	<b>6254625</b>
<b>IV.</b>	<b>Revenue &amp; Other Reserves</b>		
	<b>a.General Reserves</b>		
	Opening Balance	1089107	1089107
	Add: Addition during the year	0	0
	Less:Deduction during the year	0	0
	<b>Sub-Total-IV.a</b>	<b>1089107</b>	<b>1089107</b>
	<b>b.Revenue Reserve:</b>		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	0	0
	<b>Sub-Total-IV.b</b>	<b>105700</b>	<b>105700</b>
	<b>c.Special Reserve u/s 36(i)(viii):</b>		
	Opening Balance	691262	457074
	Add: Addition during the year	0	234188
	<b>Sub-Total-IV.c</b>	<b>691262</b>	<b>691262</b>
	<b>d.Investment Reserve</b>		
	Opening Balance	0	0
	Add: Addition during the year	36817	0
	<b>Sub-Total-IV.d</b>	<b>36817</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Balance in Profit &amp; Loss Account</b>	<b>16355120</b>	<b>15430797</b>
	<b>TOTAL [I TO V]</b>	<b>45360038</b>	<b>41500803</b>



	उप-योग-(IV) घ	36817	0
V.	लाभ-हानि खाते में शेष	16355120	15430797
	कुल योग (I-V)	45360038	41500803

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 3 –जमा राशियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क.	1.) मांग जमा		
	i) बैंकों से	297775	461883
	ii) अन्य से	43436576	35143450
	ख. बचत बैंक जमा राशियाँ	133217694	121782532
	ग. सावधि जमा		
	i) बैंकों से	67627719	55643648
	ii) अन्य से	602721884	493383512
	जोड़ (I+II+III)	847301648	706415025
ख.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	847301648	706415025

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 4 -- उधार	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5800000	4000000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	423	2956237
	iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1600000	1600000
	v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.)	2000000	2000000
	vi) गौण ऋण	13650000	13650000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	1194270
	जोड़ (1 व 2)	23050423	25400507
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	3800000	5998768

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	I. देय बिल	1671254	2382557
	II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	1117763	2995275
	III. प्रोद्भूत ब्याज	7868251	6354274
	IV. आस्थगित कर देयता	769365	1106899

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 3-DEPOSITS</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 Audited]</b>
A.	I. Demand Deposits		
	i.From Banks	297775	461883
	ii.From others	43436576	35143450
	II.Savings Bank Deposits	133217694	121782532
	III.Term Deposits		
	i.From Banks	67627719	55643648
	ii.From others	602721884	493383512
	<b>TOTAL [I+II+III]</b>	<b>847301648</b>	<b>706415025</b>
B.	Deposits of branches in India	847301648	706415025

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 4-BORROWINGS</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	5800000	4000000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	423	2956237
	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments [IPDI]	1600000	1600000
	v) Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS]	2000000	2000000
	vi) Subordinated Debt	13650000	13650000
	II. Borrowings outside India	0	1194270
	<b>TOTAL [I &amp; II]</b>	<b>23050423</b>	<b>25400507</b>
	Secured borrowings included in I & II above	3800000	5998768

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 5-OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
	I. Bills Payable	1671254	2382557
	II. Inter-office adjustments [net]	1117763	2995275
	III. Interest accrued	7868251	6354274
	IV. Deferred Tax Liability	769365	1106899
	V. Others (including provisions)	13199963	14083481
	<b>TOTAL</b>	<b>24626596</b>	<b>26922486</b>



(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2407064	1751839
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	45937845	30737362
ii) अन्य खातों में	0	0
जोड़ ( I तथा II)	48344909	32489201

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	567903	843466
ख) अन्य जमा खातों में	8490959	2250000
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	4350000	1500000
ख) अन्य संस्थाओं से	0	1000000
उप योग– (1)	13408862	5593466
2.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1494604	1375458
ii) अन्य जमा खातों में	0	1333982
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
उप-योग (2)	1494604	2709440
जोड़ (1+2)	14903466	8302906

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 8 – निवेश	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां **	216836768	187060332
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	99491	113932
iii) शेयर	1686798	1724943
iv) डिबैंचर तथा बांड्स	31363359	11941940
v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
vi) अन्य		



(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 6-CASH &amp; BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2407064	1751839
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	45937845	30737362
	ii) in Other Account	0	0
	<b>TOTAL [I &amp; II]</b>	<b>48344909</b>	<b>32489201</b>

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
	<b>I. IN INDIA</b>		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	567903	843466
	b) in Other Deposit Accounts	8490959	2250000
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	4350000	1500000
	b) with other Institutions	0	1000000
	SUB-TOTAL [I]	13408862	5593466
	<b>II. OUTSIDE INDIA</b>		
	i) In Current Accounts	1494604	1375458
	ii) In Other Deposit Accounts	0	1333982
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	<b>1494604</b>	<b>2709440</b>
	<b>TOTAL [I + II]</b>	<b>14903466</b>	<b>8302906</b>

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 8-INVESTMENT</b>	<b>AS ON 31.03.14 [Audited]</b>	<b>AS ON 31.03.13 [Audited]</b>
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities **	216836768	187060332
	ii) Other approved securities	99491	113932
	iii) Shares	1686798	1724943
	iv) Debentures & Bonds	31363359	11941940
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	vi) Others:		



क) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें/ आरआईडीएफ	32774703	24370055
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	173484	207069
उप-योग (I)	282941140	225424808
II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	282941140	225424808
कुल मूल्य	283466139	225902431
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	524999	477623
निवल निवेश	282941140	225424808
** इनमें रु. 617.04 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु. 609.98 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 276.42 करोड़ थी (अंकित मूल्य रु. 276.99 करोड़)		

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 9 – अग्रिम	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क)	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4321382	4803417
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	179853971	160488534
	iii) मीयादी ऋण	388215313	349015909
	<b>जोड़</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>
ख)	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज अग्रिम सहित)	448369357	398260595
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	65652978	55689694
	iii) प्रतिभूति रहित	58368331	60357571
	<b>जोड़</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>
ग)	भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	155920233	139900130
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	153507860	127844627
	iii) बैंक	3300871	471810
	iv) अन्य	259661702	246091293
	<b>जोड़</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 10 – स्थायी आस्तियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.)	परिसर		
	परिसर का मूल्य (अथ शेष)	717858	286161
	पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	7666013	7666013
	<b>उप- योग</b>	<b>8383871</b>	<b>7952174</b>
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत पर	105856	431697
	पुनर्मूल्यन लागत पर	8545278	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	वास्तविक लागत पर	0	0



a) Commercial Paper/CD/Securitized Receipts/ RIDF	32774703	24370055
b)Units of UTI, other MF	173484	207069
<b>SUB-TOTAL [I]</b>	<b>282941140</b>	<b>225424808</b>
<b>II.Investments outside India</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>
<b>TOTAL [I + II]</b>	<b>282941140</b>	<b>225424808</b>
Gross Value	283466139	225902431
Provision for Depreciation [-]	524999	477623
Net Investments	282941140	225424808
** Includes encumbered securities of Rs.617.04 crore [Face Value Rs.609.98 crore] previous year Rs.276.42 crore [Face Value Rs.276.99 crore]		

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 9-ADVANCES</b>	<b>AS ON</b>	<b>AS ON</b>
		<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
A.	i) Bills purchased & discounted	4321382	4803417
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	179853971	160488534
	iii) Term Loans	388215313	349015909
	<b>Total</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>
B.	i) Secured by tangible assets includes advances against Book Debt)	448369357	398260595
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	65652978	55689694
	iii) Unsecured	58368331	60357571
	<b>Total</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>
C.	ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	155920233	139900130
	ii) Public Sector	153507860	127844627
	iii) Banks	3300871	471810
	iv) Others	259661702	246091293
	<b>Total</b>	<b>572390666</b>	<b>514307860</b>

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	<b>SCHEDULE 10-FIXED ASSETS</b>	<b>AS ON</b>	<b>AS ON</b>
		<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
I.	Premises		
	Cost [Opening Balance]	717858	286161
	Appreciation in cost on account of revaluation	7666013	7666013
	<b>Sub-Total</b>	<b>8383871</b>	<b>7952174</b>
	Additions during the year		
	Original Cost	105856	431697
	Revaluation Cost	8545278	0
	Deductions during the year on		



वास्तविक लागत पर	105856	431697
पुनर्मूल्यन लागत पर	8545278	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	0	0
पुनर्मूल्यन लागत पर	-7666013	0
घटाएं— अद्यतित दिनांक को मूल्यहास		
वास्तविक लागत पर	-201028	-159906
पुनर्मूल्यन लागत पर	-273688	-600313
<b>जोड़ I</b>	<b>8930276</b>	<b>7623652</b>
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	2487771	2119415
वर्ष के दौरान परिवर्धन	613756	420967
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56549	-52611
अद्यतन मूल्यहास	-1948104	-1670142
<b>जोड़ 2</b>	<b>1096874</b>	<b>817629</b>
<b>कुल जोड़ (1 व 2)</b>	<b>10027150</b>	<b>8441281</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
I. प्रोद्भूत ब्याज	5612110	4026688
II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	3361796	3157252
III लेखन सामग्री और स्टाम्प	44260	30484
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
V. अन्य	7466050	8598553
<b>जोड़</b>	<b>16484216</b>	<b>15812977</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	38279	33669
II.अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	71049040	50456175
<b>IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ</b>		
क) भारत में	20753830	22681745
ख) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	3671688	4334366
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	4777881	2610660
<b>जोड़</b>	<b>100290718</b>	<b>80116615</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
--	------	------

	Original Cost	0	0
	Revaluation Cost	-7666013	0
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-201028	-159906
	Revaluation cost	-237688	-600313
	<b>Total I</b>	<b>8930276</b>	<b>7623652</b>
	II. Other Fixed Assets		
	(including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	2487771	2119415
	Additions during the year	613756	420967
	Deductions during the year	-56549	-52611
	Depreciation to date	-1948104	-1670142
	<b>Total II</b>	<b>1096874</b>	<b>817629</b>
	<b>TOTAL I &amp; II</b>	<b>10027150</b>	<b>8441281</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>	<b>AS ON</b>	<b>AS ON</b>
	<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
I. Inter-office adjustments [net]	0	0
II. Interest accrued	5612110	4026688
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3361796	3157252
IV. Stationery & Stamps	44260	30484
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Others	7466050	8598553
<b>TOTAL</b>	<b>16484216</b>	<b>15812977</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES</b>	<b>AS ON</b>	<b>AS ON</b>
	<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	38279	33669
II. Liability for partly paid investments	0	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	71049040	50456175
IV. Guarantees given on behalf of Constituents:		
a. In India	20753830	22681745
b. Outside India	0	0
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	3671688	4334366
VI. Other items for which the bank is contingently liable	4777881	2610660
<b>TOTAL</b>	<b>100290718</b>	<b>80116615</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 13-INTEREST EARNED</b>	<b>YEAR ENDED</b>	<b>YEAR ENDED</b>
	<b>31.03.14</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
	<b>[Audited]</b>	
I. Interest/discount on advances/ bills	59776705	57095047



II.निवेष्टों पर आय	18801850	15792268
III.भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	820314	299803
IV अन्य	328196	214125
<b>जोड़</b>	<b>79727065</b>	<b>73401243</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
<b>अनुसूची 14 – अन्य आय</b>	<b>31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>	<b>31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>
I कमीशन, विनिमय और दलाली	745335	798087
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1253713	629814
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1505	1239
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	349042	333013
V. विविध आय	1923213	2180016
<b>जोड़</b>	<b>4272808</b>	<b>3942169</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
<b>अनुसूची 15 – अपयित ब्याज</b>	<b>31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>	<b>31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>
I जमाराशियों पर ब्याज	61166001	54247378
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	587866	943531
III अन्य	1767375	1800112
<b>जोड़</b>	<b>63521242</b>	<b>56991021</b>

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
<b>अनुसूची 16 – परिचालन व्यय</b>	<b>31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>	<b>31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)</b>
I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	8562324	7735134
II किराया, कर और रोशनी	880003	678421
III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	87635	72359
IV विज्ञापन और प्रचार	21709	80928
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	603320	496905
कटौती : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	237688	229372
	365632	267533
VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	4088	2952
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	86112	70850
VIII विधि प्रभार	105015	81121
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	87858	81845
X मरम्मत और अनुरक्षण	145648	127055
XI बीमा	694578	620739
XII अन्य व्यय	1432610	1144963
<b>जोड़</b>	<b>12473212</b>	<b>10963900</b>



II. Income on investments	18801850	15792268
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	820314	299803
IV. Others	328196	214125
<b>TOTAL</b>	<b>79727065</b>	<b>73401243</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 14-OTHER INCOME</b>	<b>YEAR ENDED</b>	<b>YEAR ENDED</b>
	<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
<b>I. Commission, exchange and brokerage</b>	<b>745335</b>	<b>798087</b>
II. Profit on sale of Investments [net]	1253713	629814
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	1505	1239
IV. Profit on exchange transactions [net]	349042	333013
V. Miscellaneous Income	1923213	2180016
<b>TOTAL</b>	<b>4272808</b>	<b>3942169</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED</b>	<b>YEAR ENDED</b>	<b>YEAR ENDED</b>
	<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
I. Interest on deposits	61166001	54247378
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	587866	943531
III. Others	1767375	1800112
<b>TOTAL</b>	<b>63521242</b>	<b>56991021</b>

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 16-OPERATING EXPENSES</b>	<b>YEAR ENDED</b>	<b>YEAR ENDED</b>
	<b>31.03.14 [Audited]</b>	<b>31.03.13 [Audited]</b>
I. Payments to and provisions for employees	8562324	7735134
II. Rent, taxes and lighting	880003	678421
III. Printing and stationery	87635	72359
IV. Advertisement & publicity	21709	80928
V. Depreciation on Bank's property	603320	496905
Less: Transfer from Revaluation Reserve	237688	229372
	<b>365632</b>	<b>267533</b>
VI. Directors' fees, allowances and expenses	4088	2952
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	86112	70850
VIII. Law Charges	105015	81121
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	87858	81845
X. Repairs & maintenance	145648	127055
XI. Insurance	694578	620739
XII. Other expenditure	1432610	1144963
<b>TOTAL</b>	<b>12473212</b>	<b>10963900</b>

## प्रमुख लेखा नीतियाँ

### 1. सामान्य

#### मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

### 2. विदेशी विनिमय लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रूप में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फ़ैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फ़ैडआई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फ़ैडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख पत्र का मूल्यांकन फ़ैडआई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

### 3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है :

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii. शेयर (अंश )
- iv. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
- v. सहायक ईकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य

#### 3.3 वर्गीकरण का आधार :

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनरु विक्रय के लिए रखा हो, को "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः/बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के बही मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियाँ जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम हैं, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
  - 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणी-वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध हास का प्रावधान किया गया है।



**SCHEDULE-17****SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. GENERAL****BASIS OF PREPARATION**

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

**2. Foreign Exchange Transactions**

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

**3. Investments**

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
  - i. Government Securities
  - ii. Other approved securities
  - iii. Shares
  - iv. Debentures
  - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
  - vi. Others

**3.3 Basis of Classification:**

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
  - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
  - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
  - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
  - 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

- 3.6 “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों” का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यहास लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारत औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 “बिक्री हेतु उपलब्ध” एवं “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति” श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को “बाजार दर “निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।  
अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ : फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, अधिमान शेरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू.बाण्ड पर लाभ फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई / फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स : नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।  
पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
- घ. म्युचुअल फंड यूनिट्स: पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
- ड. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनःपूँजीगत बाण्ड, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान: शुद्ध लागत पर।

### 3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई ब्रोकरेज / कमीशन / स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।
- 3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, “परिपक्वता तक रखना” श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूँजी में विनियोजित किया गया है।

### 3.11 गैर - निष्पादित निवेश :

गैर - निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

## 4. अग्रिम

- 4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादित आस्तियों में किया गया है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों पर प्रावधान बनाए हैं।

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15%, * गैर-आरक्षित ऋणों पर 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत ऋण खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a. | Government of India Securities:  | At rates put out by FIMMDA/PDAI  |
| b. | State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:  | On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI  |
| c. | Equity Shares:   | At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company |
| d. | Mutual Fund Units:   | At re-purchase price or Net Assets Value   |
| e. | Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: | At carrying cost.  |

### 3.9 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
  - Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
  - Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

### 3.11 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

## 4. Advances

- 4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

\* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकक/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य ऋण से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

- 4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्वों तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।
- 4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

## 5. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

## 6. अचल आस्तियाँ :

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, को ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

## 7. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

- 7.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है :
  - 7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
  - 7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात् होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।
  - 7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्र मूल्य पर लिया गया है।
- 7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

## 8. राजस्व मान्यता :

- 8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 8.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.8 टियर-II पूंजी में उन्नयन के कारण बाण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

## 9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ:

- 9.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 9.2 वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन की स्वीकृति नहीं दी थी, हेतु पेंशन विकल्प के पुनः खोलने पर अतिरिक्त देयता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 की शर्तों के अनुसार, "ग्रेच्युटी एक्ट, 1972" का भुगतान, में संशोधन, ग्रेच्युटी की सीमा रु. 10 लाख बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पाँच वर्षों की अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होगी, परिशोधित कर दी है। अग्रपिठ गैर-परिशोधित व्यय में निकाले गए/सेवानिवृत्त कर्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नहीं है।

- \* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.
- 4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

## 5 Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

## 6 Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

## 7 Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -
  - 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
  - 7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.
  - 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

## 8 Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

## 9 Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The additional liability on account of re-opening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as amendment in the 'Payment of Gratuity Act, 1972' enhancing the gratuity limit to Rs.10 lacs as per Actuarial Valuation is amortized over a period of five years commencing from the FY 2010-11 in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011.

9.3 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

## 10. आय पर कर :

- 10.1 चालू आय कर को लागू कर-दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 10.2 एएस 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर –परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

## अनुसूची. 18

### लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन
  - 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
  - 1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियाँ शामिल हैं) को 28.02.2014 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
  - 1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है।  
प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा।
  - 1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.9.2013 की अवधि तक तथा 31.3.2014 को बकाया अंतर्शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छह महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।  
अंतर्शाखा खाता में निवल जमा शेष नहीं है, इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
  - 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.69 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.48 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात् की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 4.63 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.99 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
  - 2.1 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार रु.3.47 करोड़ की वास्तविक लागत की 5 बैंकों की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियां 15.18 करोड़ की थी )

## 2.2 संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वतंत्र योग्य बाहरी मूल्य निर्धारकों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अपने परिसर, जिसमें भूमि व भवन शामिल हैं, के रु. 916.80 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन किया है जो कि 82.37 करोड़ की एवज़ में हैं (अवलिखित मूल्य रु. 62.27 करोड़) परिणामस्वरूप 854.53 करोड़ की वर्धमान राशि स्थाई आस्तियों को डेबिट कर पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को क्रेडिट दिया गया है।

## 3. पूंजी :

वर्तमान वर्ष के दौरान सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार भा.रि.बैंक/एमओएफ से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने रु. 10/. वाले शेयर के 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों का आबंटन भारत सरकार को रु. 47.03 प्रति शेयर के अनुसार अधिमान शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी रु.21.26 करोड़ से बढ़ी और अब यह रु.275.28 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम रु.78.52 करोड़ से बढ़कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु.78.74 करोड़ घटा शेयर जारी व्यय रु.0.22 करोड़) रु.703.98 करोड़ हो गया है।

(रूपए करोड़ में)

मर्दे		2013-14	2012-13
(i)	सी आर ए आर टियर-I पूंजी (बासल-II)	8.10%	8.38%
(ii)	सी आर ए आर टियर-II पूंजी (%) (बासल- II)	4.00%	4.53%

9.3 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

## 10 Taxes on Income

- 10.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 10.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities

## SCHEDULE 18

### NOTES ON ACCOUNTS

#### 1 Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in Inter Branch Account (IBR + DD) Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 28.02.2014 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, NEFT/ RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.
- In the opinion of the management, the impact of the above Para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2013 and remaining outstanding as on 31.03.2014 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.
- In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs.3.69 crore (previous year Rs 3.48 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs.4.63 crore (previous year Rs.3.99 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of five Bank's properties having original cost of Rs.3.47 crore as on 31.03.2014 (Previous year 7 properties costing Rs.15.18 crore).

#### 2.2 Revaluation of properties

During the year, Bank has revalued its premises comprising of land and building at Rs.916.80 crore against cost of Rs.82.37 crore (WDV of Rs.62.27 crore) on the basis of valuation report of independent qualified external valuers. Consequently, an incremental amount of Rs.854.53 crore has been debited to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve.

#### 3. Capital

During the year, Bank has issued 2,12,63,023 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.47.03 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.21.26 crore to Rs.275.28 crore and Share Premium has increased by Rs.78.52 crore (Share Premium Received Rs.78.74 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.22 crore) to Rs.703.98 crore.

(Rupees. in crore)

Items	2013-14	2012-13
(i) CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.10%	8.38%
(ii) CRAR - Tier II capital (Basel-II)	4.00%	4.53%
(iii) Total CRAR (Basel-II)	12.10%	12.91%

(iii)	कुल सी आर ए आर (बासल- II)	12.10%	12.91%
(iv)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	7.27%	लागू नहीं
(v)	अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	0.34%	लागू नहीं
(vi)	सी आर ए आर-टियर-I पूंजी अनुपात (बासल III)	7.62%	लागू नहीं
(vii)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	3.42%	लागू नहीं
(viii)	कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (बासल-III )	11.04%	लागू नहीं
(v)	भारत सरकार के शेयरधारकों की प्रतिशतता	81.42%	79.86%
(vi)	अतिरिक्त इक्विटी पूंजी की राशि	100	140
(vii)	अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पीएनसीपीएस : आईपीडीआई :	शून्य	शून्य
(viii)	अतिरिक्त टियर-II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय अधिमानी शेयर(आर.सी.पी.एस.)	शून्य	शून्य

\* 78.52 करोड़ रुपये शेयर प्रीमियम सहित

#### 4. निवेश

##### 4.1 निवेशों का मूल्य

मर्दे		(रु. करोड़ में)	
		2013-14	2012-13
(1)	(i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(a) भारत में	28346.61	22590.24
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपी.ए. प्रावधान सहित)		
	(a) भारत में	52.50	47.76
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(a) भारत में	28294.11	22542.48
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)		
	(i) अथ शेष	47.76	93.32
	(ii) जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	17.97	17.15
	(iii) घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन	13.23	62.71
	(iv) शेष	<b>52.50</b>	<b>47.76</b>

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2014 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	225.00	694.00	176.89	380.00
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	75.00	275.00	1.71	शून्य



(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	7.27%	NA
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	0.34%	NA
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	7.62%	NA
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	3.42%	NA
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	11.04%	NA
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	81.42%	79.86%
(x)	Amount of equity capital raised*	100	140
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	Nil	Nil
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

\* Including Share Premium Rs. 78.52 crores

## 4. Investments

### 4.1 Value of Investments

Items		(Rupees in crore)	
		2013-14	2012-13
(1)	(i) Gross Value of Investments		
	(a) In India	28346.61	22590.24
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(ii) Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a) In India	52.50	47.76
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(iii) Net Value of Investments		
	(a) In India	28294.11	22542.48
	(b) Outside India	Nil	Nil
(2)	<b>Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)</b>		
	(i) Opening balance	47.76	93.32
	(ii) Add: Provisions made during the year	17.97	17.15
	(iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	13.23	62.71
	(iv) <b>Closing balance</b>	<b>52.50</b>	<b>47.76</b>

### 4.2 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

#### 4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repos	225.00	694.00	176.89	380.00
Securities purchased under Reverse Repos	75.00	275.00	1.71	Nil

#### 4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियाँ (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2013
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

#### 4.3 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2013-14	2012-13
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

#### 4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची: 31.03.2014 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	2485.65	2429.70	शून्य	2144.50	2144.50
ii.	वित्तीय संस्थान	2325.12	2318.74	शून्य	शून्य	शून्य
iii.	बैंक	1200.15	142.03	शून्य	शून्य	शून्य
iv.	निजी कं.	619.19	564.27	शून्य	46.13	1.03
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	शून्य	शून्य
vi.	अन्य	21.37	4.15	शून्य	शून्य	शून्य
vii.	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	51.65		शून्य	शून्य	शून्य
	कुल*	6600.48		शून्य		

नोट: \*कॉलम 3 का जोड़ तुलन-पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खानी चाहिए :

- क. शेयर
- ख. डिबेंचर व बॉण्ड
- ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम
- घ. अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य न हो।

#### 4.5 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
अथ शेष	25.03	25.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	34.01	शून्य
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य
इति शेष	59.04	25.03

#### 4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

#### 4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2013-14	2012-13
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

#### 4.4 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2014

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	2485.65	2429.70	Nil	2144.50	2144.50
ii.	Fls	2325.12	2318.74	Nil	Nil	Nil
iii.	Banks	1200.15	142.03	Nil	Nil	Nil
iv.	Private Corporate	619.19	564.27		46.13	1.03
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	Nil	Nil	Nil
vi.	Others	21.37	4.15	Nil	Nil	Nil
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	51.65				
	<b>Total *</b>	<b>6600.48</b>				

Note: (1) \* Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

- Shares
- Debentures & Bonds
- Subsidiaries / joint ventures
- Others

(2) Amounts reported under column 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

#### 4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Opening balance	25.03	25.03
Additions during the year	34.01	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing balance	59.04	25.03
Total Provisions held	33.45	25.03

कुल प्रावधान	33.45	25.03
--------------	-------	-------

#### 4.6 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

#### 4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने 0.57 करोड़ के मूल्यहास के उपरांत 'परिपक्वता तक रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में रु 895 करोड़ (अंकित मूल्य) की प्रतिभूतियाँ अंतरित की हैं तथा 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' से "परिपक्वता तक रखने" शीर्ष के अंतर्गत रु. 1641.95 करोड़ अंतरित किए हैं।

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

### 5. आस्ति गुणवत्ता

#### 5.1 अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2013-14	2012-13
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन पी ए (%)	3.35	2.16
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	45.51	50.37
(iii)	सकल एन पी ए में घट-बढ़		
	(क) अथ शेष	1536.90	763.44
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1619.61	1093.60
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	602.99	320.14
	(घ) इति शेष	2553.52	1536.90
(iv)	निवल एन पी ए में उतार-चढ़ाव		
	(क)अथ शेष	1110.38	547.56
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1345.55	883.50
	(ग)वर्ष के दौरान कमी	537.33	320.68
	(घ) इति शेष	1918.60	1110.38
(v)	एन पी ए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	412.56	206.44
	(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	564.68	293.99
	(ग) घटा: अधिक किए प्रावधानों को बड़े खाते डालना/पूर्णांकन	358.57	87.87
	(घ)इति शेष	618.67	412.56

5-2 डी.आई.सी.जी.सी. / सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वेध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

#### 4.6 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2013-14. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

#### 4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
<b>Total amount of assets subjected to restructuring etc.</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs..895 crore (face value) from "Held till Maturity" to "Available for Sale Category" and worth Rs. 1641.95 crores from "Available for Sale" to "Held till Maturity" after providing depreciation of Rs..0.57 crore .

4.9 The value of sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

### 5. Asset Quality

#### 5.1 Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items	2013-14	2012-13
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.35	2.16
(ii) Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	45.51	50.37
(iii) Movement of Gross NPAs		
(a) Opening Balance	1536.90	763.44
(b) Additions during the year	1619.61	1093.60
(c) Reductions during the year	602.99	320.14
(d) Closing balance	2553.52	1536.90
(iv) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	1110.38	547.56
(b) Additions during the year	1345.55	883.50
(c) Reductions during the year	537.33	320.68
(d) Closing balance	1918.60	1110.38
(v) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening Balance	412.56	206.44
(b) Add: provisions made during the year	564.68	293.99
(c) Less: write off, write back of excess provisions	358.57	87.87
(d) Closing balance	618.67	412.56

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

### 5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

31.03.2014 को पुनः संरचित खातों का विवरण

श करोड़ों में

क सं. पुनःसंरचना का प्रकार	सीडीआर के अंतर्गत खरखा				एस्पआई के अंतर्गत ऋण पुनःसंरचना व्यवस्था				अन्य				कुल								
	मानक	अवमानक	सदस्थ	हानि	कुल	मानक	अवमानक	सदस्थ	हानि	कुल	मानक	अवमानक	सदस्थ	हानि	कुल	मानक	अवमानक	सदस्थ	हानि	कुल	
आरिस्ट बर्गीकरण																					
विवरण																					
1.	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खाते (वार्षिक आंकड़े)	7			7	31				31	58				58	96					96
		120.83			120.83	216.53				216.53	5618.91				5618.91	5956.27					5956.27
	प्रारंभ	10.18			10.18	6.80				6.80	206.81				206.81	223.79					223.79
	वर्ष के दौरान नए पुनःसंरचित खाते	6			6	27				27	30				30	63					63
		306.92			306.92	68.48				68.48	2001.42				2001.42	2376.82					2376.82
	प्रारंभ	47.04			47.04	6.25				6.25	18.69				18.69	71.98					71.98
3.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक ऋणों की सं. का उन्नयन																				
	वकाया राशि																				
	प्रारंभ																				
4.	अंतिम पुनःसंरचित मानक ऋणों के आकर्षक उच्च प्रारंभिक दरों के अंतर्गत ऋणों की सं. वित्तीय-वर्ष के अंत में अतिरिक्त अंतिम भाग तथा यदि अंतिम वित्तीय-वर्ष प्रारंभ अंतिम पुनःसंरचित मानक ऋणों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है	1			1	2				2	1				1	4					4
		2287				3.12				3.12	54.75				54.75	80.74					80.74
	वकाया राशि																				
	प्रारंभ																				
5.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का उन्नयन	0.35			0.35	0.03				0.03						0.38					0.38
		1			1	19				19	3				3	23					23
	वकाया राशि (-)	46.45			46.45	42.91				42.91	14.70				14.70	104.06					104.06
	प्रारंभ (-)	6.97			6.97	7.13				7.13	14.56				14.56	28.66					28.66
	वकाया राशि																				
	प्रारंभ	0.86			0.86	86.70				86.70	1638.01				1638.01	1725.57					1725.57
6.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अपरिवर्तित	0			0	3				3	37				37	40					40
	वकाया राशि																				
	प्रारंभ																				
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	11			11	34				34	47				47	92					92
		357.57			357.57	152.28				152.28	5912.87				5912.87	6422.72					6422.72
	वकाया राशि																				
	प्रारंभ	48.97			48.97	6.67				6.67	162.14				162.14	217.78					217.78

\* / स्वाई पुनःसंरचित अंतिम आंकड़ों के अतिरिक्त जो उच्च प्रारंभिक या जोड़ित मार को आवर्तित नहीं करते हैं (संदर्भ लाना है)

नोट- वित्तीय-वर्ष 2012-13 के लिए पुनःसंरचित खातों का प्रकटन फॉर्मेट मालाया रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। उक्त फॉर्मेट में फिगरले वित्तीय-वर्ष के आंकड़े, न ही समीक्षित/पुनर्मापित/पुनर्मापित किए जा सकें और न ही किए जा सकें।

## 5.3 Details of Accounts Restructured:

PUNJAB & SIND BANK																
STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRICTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2014																
Sl.No.	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				TOTAL (Amount in crores)		
		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.		Doubt-ful	Loss
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower	7	31	31	216.53	5618.91	5956.27	58	58	5956.27	96	96	96	5956.27	96
		Amt./O/s	120.83	216.53	216.53	216.53	5618.91	5956.27			5956.27				5956.27	
		Prov. thereon	10.18	6.80	6.80	6.8	206.81	223.79			206.81				223.79	
2	Fresh Restructuring during the year #	No. of Borrower	6	27	27	68.48	2001.42	2376.82	30	30	2376.82	63	63	63	2376.82	63
		Amt./O/s	306.92	68.48	68.48	68.48	2001.42	2376.82			2001.42				2376.82	
		Prov. thereon	47.04	6.25	6.25	6.25	18.69	71.98			18.69				71.98	
3	Upgradations to Restructured Std. Category during the FY	No. of Borrower														
		Amt./O/s														
		Prov. thereon														
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower	1	2	2		1	4	1	1		4	4			4
		Amt./O/s	22.87	3.12	3.12	3.12	54.75	80.74			54.75				80.74	
		Prov. thereon	0.35	0.03	0.03	0.03		0.38			0.00				0.38	
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrower(-)	1	19	19	42.91	14.70	104.06	3	3	104.06	23	23	23	104.06	23
		Amt./O/s (-)	46.45	42.91	42.91	42.91	14.70	104.06			14.70				104.06	
		Prov. Thereon (-)	6.97	7.13	7.13	7.13	14.56	28.66			14.56				28.66	
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower	0	3	3		37	40			37				40	
		Amt./O/s (-)	0.86	86.70	86.70	86.70	1638.01	1725.57			1638.01				1725.57	
7	Restructured accounts as on Mar. 31 of the FY (Closing figures*)	No. of Borrower	11	34	34	152.28	5912.87	6422.72	47	47	6422.72	92	92	92	6422.72	92
		Amt./O/s	357.57	152.28	152.28	152.28	5912.87	6422.72	0	0	5912.87	6422.72	6422.72	6422.72	6422.72	6422.72
		Prov. thereon	48.97	6.67	6.67	6.67	162.14	217.78			162.14				217.78	

\*/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

## 5.4 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

मर्दे		2013-14	2012-13
(प)	खातों की संख्या	शून्य	1
पपद्ध	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(पपप)	कुल प्रतिफल	शून्य	1.30
(पअ)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(अ)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	1.30

## 5.5 खरीदे/बेचे गए गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(रु. करोड़ में)

fooj.k		2013&14	2012&13
1.	क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण		2012-13	2011-12
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

## 5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

मर्दे	2013-14	2012-13
मानक आस्तियों पर प्रावधान	352.78	341.59
अंकित मूल्य में हास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	70.60	61.59

## 6. कारोबार अनुपात

मर्दे	2013-14	2012-13
(i) औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.25%	9.60%
(ii) औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.50%	0.55%
(iii) औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	0.93%	1.23%
(iv) आस्तियों से आय	0.35%	0.44%
(v) प्रति कर्मचारी (रुपए करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ अग्रिम)	15.31	13.70
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए करोड़ में )	0.03	0.04



#### 5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

	Items	2013-14	2012-13
(i)	Number of Accounts	Nil	1
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	1.30
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	1.30

#### 5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

##### A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

		Particulars	2013-14	2012-13
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

##### B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

	Particulars	2013-14	2012-13
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

#### 5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

	Item	2013-14	2012-13
	Provisions towards Standard Assets	352.78	341.59
	Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances	70.60	61.59

#### 6. Business Ratios

	Items	2013-14	2012-13
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	9.25%	9.60%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.50%	0.55%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	0.93%	1.23%
(iv)	Return on Assets	0.35%	0.44%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	15.31	13.70
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.03	0.04



## 7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2014 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	584.18	547.63	0.39	0.00	30.18	221.23
2-7 दिन	1547.94	1044.21	346.32	380.00	0.74	17.80
8-14 दिन	2016.91	1473.68	292.94	0.00	5.08	24.86
15-28 दिन	3564.36	2270.23	480.30	0.00	12.12	50.09
29 दिन से 3 माह तक	11947.63	6617.49	4076.32	40.00	29.91	191.97
3 माह से अधिक 6 माह तक	10739.15	3844.42	36.69	200.04	32.33	73.03
फ	27745.45	7320.15	899.81	0.00	94.68	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	13121.22	14495.39	2417.71	150.00	92.77	0.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	4321.80	9011.54	5874.52	100.00	8.70	0.00
5 वर्ष से अधिक	9141.52	10614.63	13869.11	1435.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>84730.17</b>	<b>57239.07</b>	<b>28294.11</b>	<b>2305.04</b>	<b>306.51</b>	<b>578.98</b>

## 8. ऋण जोखिम

### 8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2014	31.03.2013
1.	प्रत्यक्ष ऋण		
	क) रिहायषी बंधक		
	i. ऐसी संपत्तियां जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई हैए को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	2795.19	2360.33
	ii. व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	2247.01	1917.11
	ख) व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	i) व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर.निधि आधारित (एन.एफ.बी) के ऋण भी शामिल हैं।	2941.87	2515.59
	ग) बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग ,एमणबीणएसद्ध और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क. रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक-वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष ऋण क्षराष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण)	*2342.72'	2805.75'
वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी		8079.67	7681.67

## 7. Asset Liability Management

### Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2014:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	584.18	547.63	0.39	0.00	30.18	221.23
2 – 7 days	1547.94	1044.21	346.32	380.00	0.74	17.80
8 – 14 days	2016.91	1473.68	292.94	0.00	5.08	24.86
15 - 28 days	3564.36	2270.23	480.30	0.00	12.12	50.09
29 days to 3 months	11947.63	6617.49	4076.32	40.00	29.91	191.97
Over 3 months & up to 6 months	10739.15	3844.42	36.69	200.04	32.33	73.03
Over 6 months & up to 1 year	27745.45	7320.15	899.81	0.00	94.68	0.00
Over 1 year & up to 3 years	13121.22	14495.39	2417.71	150.00	92.77	0.00
Over 3 years & up to 5 years	4321.80	9011.54	5874.52	100.00	8.70	0.00
Over 5 years	9141.52	10614.63	13869.11	1435.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84730.17</b>	<b>57239.07</b>	<b>28294.11</b>	<b>2305.04</b>	<b>306.51</b>	<b>578.98</b>

## 8. Exposures :

### 8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category		31.03.2014	31.03.2013
1)	Direct Exposure		
	(a) Residential Mortgages		
	i. Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	2795.19	2360.33
	ii. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	2247.01	1917.11
	(b) Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2941.87	2515.59
	(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
	a. Residential	Nil	NIL
	b. Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	* 2342.72	2805.75
Total Exposure to Real Estate Sector		8079.67	7681.67

'एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 329.69 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

### 8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

मर्दे		31.03.2014	31.03.2013
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण-पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनियों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	152.58	159.93
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ.ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण-पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	1.20	0.02
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.01	0.01
4.	अंशों की संपादिक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टाक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियाँ	5.47	52.32
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कम्पनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सोदों हेतु स्टाक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	4.15	3.71
<b>पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी</b>		<b>163.41</b>	<b>215.99</b>

### 8.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

### 8.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारी धसमूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2014 को ऋण सीमा/देयताएं	ऋण जोखिम(%)
1.	मैसर्स यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि.	टीएल रु.1501.63 करोड़	23.90% दिनांक 26.07.2013 के अनुसार	1501.63	24.03
	शून्य				

\* includes Rs.329.69 crore by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

## 8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items	31.03.2014	31.03.2013
1. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	152.58	159.93
2. Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	1.20	0.02
3. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.01	0.01
4. Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5. Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	5.47	52.32
6. Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7. Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8. Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9. Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10. All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	4.15	3.71
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>163.41</b>	<b>215.99</b>

## 8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

## 8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2013-14, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board: (Rupees in crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.14	Exposure (%)
1.	M/s UP Power Corpn. Ltd.	TL Rs.1501.63 crs	23.90% as on 26.07.2013	1501.63	24.03
	NIL				

## 8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूतिरहित अधिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों प्राधिकार ए लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	455.37	188.57
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों प्राधिकार ए लाईसेंसों पर ऋण भार	455.37	176.21

### 9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुमाने का प्रकटीकरण

		2013-14	2012-13
क.	वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जुमाना	2.5	शून्य
ख.	प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

### 9.2 बैंकेहयोरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्कधारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

		2013-14	2012-13
क.	जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	1.19	2.87
ख.	साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	0.0042	2.21
ग.	यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	शून्य	0.0005

## 10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

### 10.1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मर्दे तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मर्दे शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएस-5 में बताया जाना होए सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

### 10.2 एएस -6 मूल्यहास लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यहास का ब्रेक-अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2013-14	2012-13
परिसर	27.88	25.21
अन्य स्थाई आस्तियाँ	32.45	24.48

### 10.3 एएस-9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मर्दों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता)में प्रकट मर्दों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस आय को आर्थिक न माना जाए

### 10.4 एएस 15 . कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन ए ग्रेच्युटी ए छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आईएनसीएणआई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक ;एएस-15 के आधार पर किया गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि दृ प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं. बीपी. बीसी. 80/21. 04.018/2010-11 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में किए संशोधनों के अनुसार के अनुसार की गई है। तदनुसार बैंक ने पेंशन खाता में 146.12 करोड, रु. तथा ग्रेच्युटी खाता में 26.57 करोड, रु. परिशोधन किए हैं। शेष राशि, पेंशन खाता के 146.12 करोड, रु. तथा ग्रेच्युटी खाता के 26.57 करोड, रु. को आगामी वर्ष 2014-15 में परिशोधित कर दिए जाएंगे।

## 8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc	455.37	188.57
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	455.37	176.21

## 9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

	2013-14	2012-13
A. Penalty imposed by RBI on Bank	2.5	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

## 9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2013-14	2012-13
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	1.19	2.87
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	0.0042	2.21
C. UTI Mutual Fund Business	NIL	0.0005

## 10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)

### 10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

### 10.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2013-14	2012-13
Premises	27.88	25.21
Other Fixed Assets	32.45	24.48
<b>Total</b>	<b>60.33</b>	<b>49.69</b>

### 10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of Schedule 17 – Significant Accounting Policies. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 AS 15 - Employees Benefit

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. However, the additional liability towards re-opening of pension option and amendment in the Gratuity Act, 1972 has been dealt in accordance with the provisions contained in Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11) dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit. Accordingly the Bank has amortized Rs. 146.12 Crores on account of Pension and Rs. 26.57 Crores on account of Gratuity. The balance amount carried forward on account of Pension Rs. 146.12 Crores and Rs. 26.57 Crores shall be carried forward to be amortized in next year i.e 2014-15.

खाता के 26.57 करोड़, रु. को आगामी वर्ष 2014-15 में परिशोधित कर दिए जाएंगे।

#### 10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

#### 10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2419.87	2318.41	389.20	438.45	185.78	182.80
ब्याज लागत	209.92	179.91	31.15	32.48	15.05	13.55
वर्तमान सेवा लागत	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
प्रदत्त लाभ	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	2493.33	2419.87	(284.19)	389.02	165.71	185.78

#### 10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	180.66	162.30	30.24	31.74	17.01	18.51
नियोक्ता अंशदान	290.39	180.21	16.64	34.63	शून्य	10.05
घटाएं प्रदत्त लाभ	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
बीमांकिक हानि / (लाभ)	9.57	0.59	(3.03)	(3.23)	(2.85)	(0.73)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	190.23	162.89	27.21	28.51	19.86	17.78

#### 10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
मूल्यांकिक हानि / (लाभ) दायित्व (ए)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिकहानि / (लाभ)	(9.57)	(0.59)	(3.03)	(3.23)	(2.85)	(0.73)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि / (लाभ)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)



10.4.2 The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

#### 10.4.3 Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80
Interest cost	209.92	179.91	31.15	32.48	15.05	13.55
Current service cost	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
Benefits paid	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2493.33	2419.87	(284.19)	389.02	165.71	185.78

#### 10.4.4 Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
Expected return of Plan Assets	180.66	162.30	30.24	31.74	17.01	18.51
Employer contribution	290.39	180.21	16.64	34.63	Nil	10.05
Benefits paid	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
Actuarial (loss)/ gain	9.57	0.59	(3.03)	(3.23)	2.85	(0.73)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
Actual return on Plan Assets	190.23	162.89	27.21	28.51	19.86	17.78

#### 10.4.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets. (B)	(9.57)	(0.59)	3.03	3.23	(2.85)	0.73
Net Actuarial loss/(gain)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकित हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### 10.4.6 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2493.33	2419.87	284.19	389.02	165.71	185.78
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
तुलन-पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/ देयता	(180.14)	(412.57)	9.89	(53.01)	6.06	3.17

### 10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
चालू सेवा लागत	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
ब्याज लागत	209.92	179.90	31.15	32.48	15.05	13.55
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(180.66)	(162.30)	(30.24)	(31.74)	17.01	(18.51)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	26.45	(13.77)
शुद्ध लाभ व्यय	57.96	77.67	46.26	13.13	2.89	11.97

### 10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियाँ	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)
शुद्ध लाभ व्यय	57.96	77.67	46.26	(13.13)	(2.89)	11.97
घटाएं -दिया गया अंश	290.39	180.21	16.64	34.63	शून्य	10.05
अन्तिम देयता/आस्तियाँ	180.14	412.57	9.89	53.01	(6.06)	(3.17)

### 10.4.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.31	21.04	3.40	3.18	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.68	35.35	....	—	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बाण्ड	36.02	37.97	33.94	39.61	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं		—	..	—	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	7.99	5.64	62.66	57.21	100	100

**10.4.6 Amount recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2493.33	2419.87	284.19	389.02	165.71	185.78
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(180.14)	(412.57)	9.89	(53.01)	6.06	3.17

**10.4.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Current service cost	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
Interest cost	209.92	179.90	31.15	32.48	15.05	13.55
Expected return on plan assets	(180.66)	(162.30)	(30.24)	(31.74)	(17.01)	(18.51)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Net benefit/ expense	57.96	77.67	(46.26)	(13.13)	(2.89)	11.97

**10.4.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Opening net Liability/(Asset)	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)
Net benefit expense	57.96	77.67	(46.26)	(13.13)	(2.89)	11.97
Less: Contribution paid	290.39	180.21	16.64	34.63	NIL	10.05
Closing liability/(Asset)	180.14	412.57	(9.89)	53.01	(6.06)	(3.17)

**10.4.9 Investment percentage maintained by the trust**

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Central Government Securities	18.31	21.04	3.40	3.18	Nil	Nil
State Government Securities	37.68	35.35	----	----	Nil	Nil
High quality corporate bonds	36.02	37.97	33.94	39.61	Nil	Nil
Special Deposit Scheme	----	----	----	----	Nil	Nil
Other investments	7.99	5.64	62.66	57.21	100	100

### 10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
बढ़ा दर	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	9.00	9.00	9.00	9.40	9.00	9.85
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.50	5.00	5.50	5.00	5.50
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

### 10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बढ़ा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बढ़ा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसारण वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

### 10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर-निधि)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
देयता का वर्तमान मूल्य	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25

#### 10.4.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		(Leave Encashment funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Discount rate	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
Expected rate of return on plan assets	9.00	9.00	9.00	9.40	9.00	9.85
Rate of escalation in salary	5.00	5.50	5.00	5.50	5.00	5.50
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

#### 10.4.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

#### 10.4.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present Value of Obligation	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25

\* As assessed by the management



## 10.5 लेखामानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

### भाग क: व्यापार खंड

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014 (लेखा परीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2013 (लेखा परीक्षित)
1.खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	200556	164221
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	476456	460851
ग. फुटकर बैंकिंग	162868	150148
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	119	508
कुल	839999	775728
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	1429	592
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	83591	107577
ग. फुटकर बैंकिंग	28575	35049
घ. अन्य बैंकिंगपरिचालन	119	508
कुल	113714	143726
3. गैर.आबंटित व्यय	33659	49841
4. परिचालन लाभ	80055	93885
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	55421	45215
6. आयकर	-5429	14747
7. विशेष लाभ/हानि		
8. शुद्ध लाभ	30063	33923
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2884926	2293817
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4841480	4290110
ग. फुटकर बैंकिंग	1654968	1397748
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	69541	66115
कुल आस्तियां	9450915	8047790
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2746402	2168713
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4609010	4056129
ग. फुटकर बैंकिंग	1575503	1321516
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	18872	41022
कुल आस्तियां	8949787	7587380

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को

**10.5 AS 17 – Segment Reporting**  
**Part A : Business Segment :**

Particulars	Year ended	
	31.03.14	31.03.13
1. Segment Revenue		
a) Treasury	200556	164221
b) Corporate/ Wholesale Banking	476456	460851
c) Retail Banking	162868	150148
d) Other Banking Operations	119	508
Total	839999	775728
2. Segment Result		
a) Treasury	1429	592
b) Corporate/ Wholesale Banking	83591	107577
c) Retail Banking	28575	35049
d) Other Banking Operations	119	508
Total	113714	143726
3. Unallocated Expenses	33659	49841
4. Operating Profit	80055	93885
5. Provisions & Contingencies	55421	45215
6. Income Tax	-5429	14747
7. Extra Ordinary Profit/ Loss		
8. Net Profit	30063	33923
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2884926	2293817
b) Corporate/ Wholesale Banking	4841480	4290110
c) Retail Banking	1654968	1397748
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	69541	66115
Total Assets	9450915	8047790
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2746402	2168713
b) Corporate/ Wholesale Banking	4609010	4056129
c) Retail Banking	1575503	1321516
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	18872	41022
Total Liabilities	8949787	7587380

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines,

चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि ए) राजकोष परिचालन बी) कारपोरेट@थोक बैंकिंग सी) फुटकर बैंकिंग डी) अन्य बैंकिंग परिचालन हैं। कारपोरेट@थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व परिणाम आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो| उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

### भाग ख: भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है , इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

### 10.6 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

#### मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री डी.पी. सिंह	दिनांक 30.01.2014 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के.आनंद	दिनांक 31.05.2013 तक कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक
श्री किशोर कुमार साँसी	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक

#### क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में.

	2013-14	2012-13
(1.)श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2.84	लागू नहीं
(2.) श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक	10.12	लागू नहीं
(3.)श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	10.67	लागू नहीं
(4.) श्री डी.पी. सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15.05	19.04
(5.)पी.के.आनंद, पूर्व कार्यकारी निदेशक	2.87	19.40

#### ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	दिनांक 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

#### ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम-सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस-18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

### 10.7 प्रति शेयर आय (एस-20)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	277.57	317.46
इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (करोड़ में)	25.97	23.53
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु०)	10.69	13.49
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00



the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

## Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

### 10.6 AS 18 – Related Party Disclosures Key Managerial Personnel:

Mr. D.P. Singh	Chairman and Managing Director up to 30.01.2014
Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director w.e.f. 04.02.2014
Mr. P.K.Anand	Executive Director up to 31.05.2013
Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 05.08.2013
Mr. Kishore Kumar Sansi	Executive Director w.e.f. 05.08.2013

#### a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2013-14	2012-13
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	2.84	N.A.
Mr. Kishore Kumar Sansi, Executive Director	10.12	N.A.
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	10.67	N.A.
Mr. D.P. Singh, Ex-Chairman and Managing Director	15.05	19.04
Mr. P.K Anand, Ex-Executive Director	2.87	19.40

#### b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Loans outstanding	NIL	NIL

#### c) Name of Related Party **Satluj Gramin Bank (An Associate)**

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

### 10.7 AS 20 - Earning Per Share (Rs. in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Net Profit After tax available for equity Shareholders	277.57	317.46
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	25.97	23.53
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	10.69	13.49
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

### 10.8 लेखा मानक 21- समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक के पास कोई सब्सिडी नहीं है, अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

### 10.9 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, "आय पर करों का लेखांकन" का अनुपालन किया है।

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रूपए करोडमें)

विषय	आस्थगित कर अस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1. स्थायी अस्तियों पर मूल्यहास	शून्य	शून्य	2.32	2.02
2. उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	166.16	119.36
3. धारा 36 1(8) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	शून्य	शून्य	23.50	शून्य
4. वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	55.43	10.69	शून्य	शून्य
5. अग्रेषित हानियाँ	59.61	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	115.04	10.69	191.98	121.38

10.9.3 विधिक-कर विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर पर बैंक ने विचार में किया है तथा तदानुसार रूपए 403.80 करोड़ (पूर्व वर्ष के रू 277.77 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.9.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बैनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.9.5 अपील प्राधिकारियों की निर्णायक निर्णय प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रूपए 477.79 करोड़ (पूर्व वर्ष में रू. 261.07 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है।

10.9.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20.12.2013 के परिपत्र सं. डीबीओडी नं. बीपी. बीसी 77 / 21.04.018 / 2013-14 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VIII) के अंतर्गत विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में अपेक्षित रू. 22.43 करोड़ की राशि के व्यय 31 मार्च, 2013 को विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता निर्धारित करते हुए, जो कि लाभ-हानि खाते में शामिल नहीं है, को इस रिजर्व से सीधे समायोजित कर लिया गया है।

10.9.7 कर परामर्शदाताओं के अनुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VIII) के अंतर्गत कटौतियों का दावा किया है जो कि रू.216.70 करोड़ के गैर-ग्रामीण अग्रियों को बट्टे खाते डालने के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) में स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 36 (1)(VIIa) के अनुसार गैर-ग्रामीण अग्रियों को अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालने से संबंधित है, लागू नहीं है। परिणामस्वरूप कर के पश्चात् न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट पात्रता रू. 68.10 करोड़ तथा आस्थगित कर अस्ति रू. 59.61 करोड़ लाभ में वृद्धि हुई है। कर संबंधी कानूनी कार्रवाई में ऊपर संदर्भित कटौती के दावे पर बल देने के लिए प्रबंधन आशावादी है।

### 10.10 लेखा मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक के पास किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं है। अतः एस 23 लागू नहीं है।

### 10.11 लेखा मानक 26- अमूर्त अस्तियाँ

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है। जैसे कि मजदूरी आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

## 10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

## 10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	2.32	2.02
2	Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	166.16	119.36
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	Nil	Nil	23.50	Nil
4	Provision for wage revision	55.43	10.69	Nil	Nil
5	Brought forward losses	59.61	Nil	Nil	Nil
	Total	115.04	10.69	191.98	121.38

10.9.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent and accordingly, deferred tax liability of Rs 403.80 crore (Previous Year Rs.277.77 crore) has not been considered necessary.

10.9.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringe Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs 477.79 crore Previous year (Rs.261.07 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) Circular No. DBOD. No. BP. BC.77/ 21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 has been created. As required by the said RBI Circular, the expenditure, amounting to Rs.22.43 crore due to creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit & Loss Account, has now been adjusted directly from the Reserves. Had this amount been charged to Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year had been lower for the year by such amount.

10.9.7 In computing the provision for Income Tax for the current Financial Year, based on the opinion of tax consultant, the bank has claimed the deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act 1961 in respect of write off of non-rural advances of Rs. 216.70 crore without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961 holding that proviso read with Explanation-2 to section 36(1)(vii) is not applicable to the bad debts written off of non-rural advances. This has resulted into increase in Profit after Tax, MAT credit entitlement by Rs.68.10 crore and Deferred Tax Asset by Rs.59.61 crore. The management is hopeful of enforcing its claim of above referred deduction in tax litigation.

## 10.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

## 10.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 लेखा मानक 28— आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28— में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को “निगमित आस्तियाँ” माना गया है न कि “नकदी निर्मित इकाईयाँ”। प्रबंधन की राय के अनुसार- 31.03.2014 तक समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियाँ कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक—29 का अनुपालन- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान

10.13.1 लेखा मानक — 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है :

- (क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- (ख) घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि—  
यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके

या

देयता राशि का शतप्रतिशत अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक भोश		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथशेष	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	18.16	10.18	8.70	8.09	0.25	0.11	26.61	18.16
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	3.87	3.36	3.00	1.60	0.43	1.09	6.44	3.87
हस्तांतरित साख-पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2013-14	2012-13
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	512.91	255.55
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	11.19	152.88
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	9.01	50.80
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	8.42	0.00
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-3.11	-18.16
अन्य प्रावधान	15.79	11.09
कर-निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	186.54	149.66
आस्थगित कर	-57.25	-2.91
संपत्ति कर	0.48	0.55
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	-186.54	0.00

### 10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2014, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

### 10.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
  - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
  - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

#### 10.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	18.16	10.18	8.70	8.09	0.25	0.11	26.61	18.16
Invoked Bank Guarantees	3.87	3.36	3.00	1.60	0.43	1.09	6.44	3.87
L.C Devolved	Nil	NIL	Nil	NIL	Nil	NIL	Nil	NIL

10.13.3 Movement of other significant provisions has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

#### 11.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2013-14	2012-13
Provision for Non Performing Advances	512.91	255.55
Provision for Standard Assets	11.19	152.88
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	9.01	50.80
Provision for Non Performing Investments	8.42	0.00
Provision for Depreciation in the value of Investments	-3.11	-18.16
Other Provisions	15.79	11.09
Provision for Taxation:		
Current Tax	186.54	149.66
Deferred Tax	-57.25	-2.91
Wealth Tax	0.48	0.55
MAT Credit Entitlement	-186.54	0.00

अन्य	2.48	0.17
कुल	499.92	599.63

### 11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

### 11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. शून्य लाख (पिछले वर्ष रु. 0 लाख) की राशि का आहरण किया गया ।

### 11.4 ग्राहक शिकायतें

	2013-14	2012-13
क) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	96	67
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1810	1567
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1871	1538
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	35	96

### 11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

	2013-14	2011-12
क) वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	2
ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	5	10
ग) वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	4	11
घ) वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	2	1

### 11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

#### 11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	22177.88	16661.05
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	26.17%	23.59%

#### 11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	14203.61	12307.24
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	24.56%	22.21%

Others	2.48	0.17
<b>Total</b>	<b>499.92</b>	<b>599.63</b>

**11.2 Movement of Floating Provisions**

(Rupees. in crore)

	2013-14	2012-13
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

**11.3 Draw down from Reserve**

A sum of Rs.Nil lacs(previous year Rs. Nil lacs has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

**11.4 Customer's Complaints:**

		2013-14	2012-13
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	96	67
b)	No. of Complaints received during the year	1810	1567
c)	No. of Complaints redressed during the year	1871	1538
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	35	96

**11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:**

		2013-14	2012-13
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	2
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	5	10
c)	No. of Awards implemented during the year	4	11
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	2	1

**11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs  
Concentration of Deposits**

(Rupees. In crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Deposits of twenty largest depositors	22177.88	16661.05
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	26.17%	23.59%

**11.6.2 Concentration of Advances**

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Advances to twenty largest borrowers	14203.61	12307.24
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	24.56%	22.21%

### 11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	16248.41	12604.70
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	28.09%	21.26%

### 11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	488.90	321.59

### 11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए.का प्रतिशत	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	3.32	2.09
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	6.47	3.24
3.	सेवा क्षेत्र	3.28	2.93
4.	व्यक्तिगत ऋण	5.59	2.52

### 11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	1536.90	763.44
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन.पी.ए.)	1619.61	1093.60
<b>उप.योग (क)</b>	<b>3156.51</b>	<b>1857.04</b>
घटा : i) उन्नयन	187.19	153.55
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	211.32	116.98
iii) बट्टे खातों में डालना	204.48	49.61
<b>उप-योग ख)</b>	<b>602.99</b>	<b>320.14</b>
<b>31 मार्च को सकल एन.पी.ए.(इति शेष) (क-ख)</b>	<b>2553.52</b>	<b>1536.90</b>

### 11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल आस्तियाँ	148.57	270.97
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	0.57	0.45



### 11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	16248.41	12604.70
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	28.09%	21.26%

### 11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to top four NPA Accounts	488.90	321.59

### 11.7 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	Agricultural & allied activities	3.32	2.09
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	6.47	3.24
3.	Services	3.28	2.93
4.	Personal Loans	5.59	2.52

### 11.8 Movement of NPAs

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Gross NPAs as on 1 <sup>st</sup> April (Opening Balance)	1536.90	763.44
Additions (Fresh NPAs) during the year	1619.61	1093.60
<b>Sub-total (A)</b>	<b>3156.51</b>	<b>1857.04</b>
Less: (i) Up-gradations	187.19	153.55
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	211.32	116.98
(iii) Write-offs	204.48	49.61
<b>Sub-total (B)</b>	<b>602.99</b>	<b>320.14</b>
<b>Gross NPAs as on 31<sup>st</sup> March (closing balance) (A-B)</b>	<b>2553.52</b>	<b>1536.90</b>

### 11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Assets	148.57	270.97
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.57	0.45

### 11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रूपए करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12- नवम्बर, 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन के खाते पर उदित आस्तियों की प्राप्ति के लिए 131.63 करोड़ (गत वर्ष 32.96 करोड़ रूपए), रु. के तदर्थ (एड-होक) प्रावधान किए गए हैं। अपेक्षित सूचना के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका तथा अस्थाई रूप से उपलब्ध कराया गया है।

### 13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की भातों के अनुसार प्रकटीरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क.सं.	विवरण	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) 31/03/2014 की स्थिति के अनुसार किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2013-14 के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य
4.	दिनांक 31/03/2014 की स्थिति के अनुसार उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य

14- जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहाँ आवश्यक था पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

### 11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored by Banks

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Nil	NIL	Nil	Nil

12. An ad-hoc provision of Rs 131.63 crore (previous year Rs.32.96 crore) has been made to meet the likely liability arising on account of Wage Revision effective from November 2012. In absence of requisite information, liability could not be ascertained and has been provisionally provided for.

#### 13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as on 31/03/2014	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year 2013-14	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31/03/2014	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL

14. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	31.03.2014	31.03.2013
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि)	3006264	3392202
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	4999155	5996289
मूल्यहास (निवल)	237688	229372
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1505	-1239
बाण्ड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1727740	1696705
	-234960	0
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	-20000	-20000
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	9714382	11293329
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी)	140886623	75175239
उधारों में वृद्धि / (कमी)	-2350084	-8422775
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	-2654398	3748637
निवेशों में वृद्धि / (कमी)	-57569407	-24601899
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	-63213305	-55859191
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	-128311	-1628469
<b>परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह-</b>	<b>24685500</b>	<b>-259129</b>
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-581667	-816187
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1505	1239
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-580162	-814948
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयरों को जारी करना (आईपीओ)(अंकित मूल्य)	212630	198132
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	787370	1201868
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-2188	-2500
गौण बाण्ड जारी करना	0	0
गौण बाण्ड का मोचन	0	0
गौण बाण्ड पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1727740	-1696705
पीएनसीपीएस पर लाभांश	-785625	-850770
लाभांश आबंटन कर	-133517	-138017
<b>(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>-1649070</b>	<b>-1287999</b>
परिचालन गतिविधियों से नकदी -	24685500	-259129
निवेश गतिविधियों से नकदी -	-580162	-814948
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-1649070	-1287999
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि -	-22456268	-2362076
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	40792107	43154183
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	63248375	40792107

## Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(Rupees. in thousands)

<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2013</b>
Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	3006264	3392202
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	4999155	5996289
Depreciation (Net)	237688	229372
Profit on sale of assets	-1505	-1239
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1727740	1696705
Deffered Tax Liability	-234960	0
Corporate Social Responsibility Fund	-20000	-20000
<b>Operating Profit before working capital changes</b>	<b>9714382</b>	<b>11293329</b>
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	140886623	75175239
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2350084	-8422775
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-2654398	3784637
(Increase) / Decrease in Investments	-57569407	-24601899
(Increase) / Decrease in Advances	-63213305	-55859191
(Increase) / Decrease in Other Assets	-128311	-1628469
<b>Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>24685500</b>	<b>-259129</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Increase in Fixed Assets	-581667	-816187
Profit on sale of assets	1505	1239
Cash Flow from Investing Activities (B)	-580162	-814948
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issue of Equity Shares (IPO) (Face Value)	212630	198132
Share Premium received thereon	787370	1201868
Public Issue Expenses	-2188	-2500
Issue of Subordinated Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Bonds	0	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1727740	-1696705
Dividend on Equity & PNCPS	-785625	-850777
Dividend Distribution Tax	-133517	-138017
Cash Flow from Financing Activities (C )	-1649070	-1287999
Cash from Operating Activities	24685500	-259129
Cash from Investing Activities	-580162	-814948
Cash from Financing Activities	-1649070	-1287999
<b>Increase in Cash &amp; Cash Equivalents</b>	<b>22456268</b>	<b>-2362076</b>
Cash and Bank Balances (Opening)	40792107	43154183
Cash and Bank Balances (Closing)	63248375	40792107

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2014 की वित्तीय विवरणियों जिनमें तुलनपत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएँ तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 441 शाखाएँ हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 869 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9.60 प्रतिशत, जमा राशियों का 22.86 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 5.93 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 19.67 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

### वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाईन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।
4. लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर की गई जांच सम्मिलित है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएँ सही हैं। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विशय में दी गई गलत सूचना का आकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।
5. हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यता पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

### विषय का महत्व

6. हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :
  - (i) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
  - (ii) अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.3, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।
  - (iii) नोट सं. 10.9.5 जो कि लेखांकन बही के अनुसार निवेश मूल्य पर विविध खाता पर अंतर के संबंध में 477 79 करोड़ रु. की आस्थगित कर देयताओं के सृजन न करने तथा आयकर अभिकलन के लिए अंतर पर विचार करते हुए स्थाई होगा।
  - (iv) वित्तीय विवरणियों का नोट सं. 10.9.6 जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.018/2013-14 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (अपपप) के अंतर्गत विषेश आरक्षितियों पर सृजित आस्थगित कर देयता पर व्ययों के लेखांकन पर वर्णित है।
  - (v) बैंक की पूंजी पर्याप्तता बासल-i तथा बासल-ii अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियाँ, लेखा नितियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।
  - (vi) वित्तीय विवरणी का नोट 10.4.1, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि - प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता, कर्मचारियों हेतु लाभ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India

### Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 441 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 869 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.60 per cent of advances, 22.86 per cent of deposits, 5.93 per cent of interest income and 19.67 per cent of interest expenses.

### Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:
  - (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.
  - (ii) Note no. 10.9.3 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.
  - (iii) Note no.10.9.5 regarding non creation of deferred tax liability of Rs. 477.79 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per the books of account and for the income tax computation considering the difference to be permanent.
  - (iv) Note no. 10.9.6 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36[1](viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31<sup>st</sup> March 2014, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP. BC.77/21.04.018/ 2013-14 dated 20<sup>th</sup> December 2013.
  - (v) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (i) to (iii) above.
  - (vi) Note no. 10.4.1 regarding deferment, amortization and carry forward of pension and gratuity liability of the bank pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the public sector bank from application of provisions of Accounting Standard (AS) 15 `Employees Benefits` (revised 2005) vide its circular no.

दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि :
- 1) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2014 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।
  - 2) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।
  - 3) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2013 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
- अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।
9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर.एम.लाल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी)

साझेदार

एम.नं. 071448

एफआरएन 000932सी

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(राकेश अग्रवाल)

साझेदार

एम. नं. 081808

एफआरएन 500028एन

कृते बी.के. श्रौफ एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(एल.के.श्रौफ)

साझेदार

एम.नं. 060742

एफआरएन 302166ई

कृते आर. कोठारी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार)

साझेदार

एम.नं.090865

एफआरएन 307069ई

नई दिल्ली

दिनांक: 10मई, 2014



DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 of Re-opening of pension option to the Employees of public sector banks and enhancement in gratuity limits – Prudential regulatory treatment.

(vii) Note No.10.9.7, which describes uncertainty relating to the allowability of claim of bad debts by the Income Tax Authorities vis- a- vis to the stand taken by the bank based on expert independent opinion.

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:
- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
  - the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
  - The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
  - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For R. M. Lall & Co.  
Chartered Accountants

For O. P. Tulsyan & Co.  
Chartered Accountants

(R. P. Tewari)  
Partner  
M. No. 071448  
FRN : 000932C

(Rakesh Agarwal)  
Partner  
M. No. 081808  
FRN : 500028N

For B. K. Shroff & Co.  
Chartered Accountants

For R. Kothari & Co.  
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)  
Partner  
M. No. 060742  
FRN : 302166E

(Rajesh Kumar)  
Partner  
M. No. 090865  
FRN : 307069E

NEW DELHI  
May 10, 2014



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,  
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

### घोषणा का प्रारूप ( उम्मीदवार द्वारा )

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि.

- क) मैं दिनांक 30 मई 2014 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि, को बैंक के .....इक्विटी शेयरों का धारक हूँ।
- ख) मैं जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूँ (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.....( विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत है बैंक के लिए उपयोगी होगा ) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम की धारा 9 की उप धारा 3 , के अनुसार करता हूँ और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ
- ग) मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूँ और
- घ) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और
- ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हुआ हूँ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एण्ड प्रोपर" मानदण्डों के अनुसार समुचित हूँ देखे परिपत्र संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं.46/29.39.001/ 2007.2008, 47/29.39.001/ 2007.08 दोनो दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी न.बी.सी.न. 952939001 दिनांक 23.05.11.
- च) मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक आफ इण्डिया विधि सम्मत धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया ( सहायक बैंक) नियम, 1959 की धारा 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक नहीं हूँ।
- छ) निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 19 मई 2014 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
- ज) मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो।



## Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place,  
New Delhi-110 008.

Annexure-”A’

### FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, \_\_\_\_\_ son / daughter /wife of Shri \_\_\_\_\_ a resident of \_\_\_\_\_ hereby confirm that:

- A) I am a Shareholder holding \_\_\_\_\_ equity shares of the Bank as on **30<sup>th</sup> May, 2014** (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- B) \*I have special knowledge or practical experience in [ **i**] **agriculture and rural economy**, [**ii**] **banking** [**iii**] **co-operation** [**iv**] **economics** [**v**] **finance** [**vi**] **law**, [**vii**] **small scale industry**, or \_\_\_\_\_ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the **depositors or farmers, workers and artisans**, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- C) I accept the nominations numbering \_\_\_\_\_ and
- D) I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- E) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and "Fit and Proper" criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.
- F) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks)Act, 1959.
- G) I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 19<sup>th</sup> May 2014 for election of directors.
- H) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.



नाम	
पंजी. पत्रा नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक	
हस्ताक्षर	
संपर्क नं.	
पता/ई.मेल का पता	

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब  
रजिस्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर  
या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी  
या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया,  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी  
राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर  
सहित हस्ताक्षर)

मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि

\*जो लागू न हो उसे काट दें

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place	
Date	
Signature	
Contact No.	
Address/email address	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate,  
Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or  
any other Gazetted Officer or an Officer of  
the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank  
or any Nationalised Bank.)

Signature with seal & Date.

\*Delete whichever is not applicable.

बैंक का नाम:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन

( \_\_\_\_\_ के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

1.		निदेशक का व्यक्तिगत ब्यौरा	
	क.	पूरा नाम	
	ख.	जन्म तिथि	
	ग.	शैक्षिक योग्यता	
	घ.	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
	ङ	स्थायी पता	
	च.	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल पता/ टेलिफोन नंबर	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता	
	झ.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव ( बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 (3-ए) अधिनियम 1970,1980	
	ड	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II		निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी	
	क	बैंक से संबंधित रिश्तेदारों यदि कोई है, की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें )	
	ख	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो ( देखें. धारा 299 (3) तथा धारा 300	
	ग	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो ( बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार	
	ङ	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	च.	उनके द्वारा तथा/ अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं यदि कोई है तो	
	छ	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता रही हैं ।	

**Annexure-”B’**

Name of Bank :		<b>PUNJAB &amp; SIND BANK</b>
<b>Declaration and Undertaking by Director*</b>		
(with enclosures as appropriate as on _____)		
<b>I.</b>	<b>Personal details of director</b>	
a.	Full name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
<b>II</b>	<b>Relevant Relationships of director</b>	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
		क. व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित	
IV		निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही	
	क	यदि कोई निदेशक व्यवसायिक संस्था / निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यावसाय में किसी समय उन्हे प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण दें।	
	ख	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा /उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	घ	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	
	ङ	क्या निदेशक या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ग) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
	च	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है	
	छ	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है।	
V		उपरोक्त मद संख्या I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।	
		वचन	
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा।	
	स्थान:	निदेशक के हस्ताक्षर	
	दिनांक:		
	vi बैंक की नामांकन समिति की टिप्पणी		
	स्थान:	हस्ताक्षर	
	दिनांक:		



III	<b>Records of professional achievements</b>		
	a.	Professional achievements relevant	
IV.	<b>Proceedings, if any, against the director</b>		
	a.	If the director is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
	d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
	e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA.  <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V.	<b>Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper</b>		
<b>Undertaking</b>			
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.			
Place :		Signature of director	
Date :			
<b>VI. Remarks of Nomination Committee of the Bank</b>			
Place :		Signature	
Date :			



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,  
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

### घोषणा का प्रारूप ( उम्मीदवार द्वारा )

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि.

- क) मैं दिनांक 30 मई 2014 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि, को बैंक के .....इक्विटी शेयरों का धारक हूँ।
- ख) मैं जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूँ (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.....( विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत हैं बैंक के लिए उपयोगी होगा ) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम की धारा 9 की उप धारा 3 , के अनुसार करता हूँ और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ
- ग) मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूँ और
- घ) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और
- ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हुआ हूँ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एण्ड प्रोपर" मानदण्डों के अनुसार समुचित हूँ देखे परिपत्र संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं.46/29.39.001/ 2007.2008, 47/29.39.001/ 2007.08 दोनो दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी न.बी.सी.न. 952939001 दिनांक 23.05.11.
- च) मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक आफ इण्डिया विधि सम्मत धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया ( सहायक बैंक) नियम, 1959 की धारा 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक नहीं हूँ।
- छ) निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 19 मई 2014 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
- ज) मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो।



## Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place,  
New Delhi-110 008.

Annexure-”A’

### FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, \_\_\_\_\_ son / daughter /wife of Shri \_\_\_\_\_ a resident of \_\_\_\_\_ hereby confirm that:

- A) I am a Shareholder holding \_\_\_\_\_ equity shares of the Bank as on **30<sup>th</sup> May, 2014** (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- B) \*I have special knowledge or practical experience in [ **i**] **agriculture and rural economy**, [**ii**] **banking** [**iii**] **co-operation** [**iv**] **economics** [**v**] **finance** [**vi**] **law**, [**vii**] **small scale industry**, or \_\_\_\_\_ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the **depositors or farmers, workers and artisans**, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- C) I accept the nominations numbering \_\_\_\_\_ and
- D) I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- E) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and "Fit and Proper" criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.
- F) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks)Act, 1959.
- G) I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 19<sup>th</sup> May 2014 for election of directors.
- H) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.



नाम	
पंजी. पत्रा नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक	
हस्ताक्षर	
संपर्क नं.	
पता/ई.मेल का पता	

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब  
रजिस्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर  
या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी  
या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया,  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी  
राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर  
सहित हस्ताक्षर)

मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि

\*जो लागू न हो उसे काट दें

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place	
Date	
Signature	
Contact No.	
Address/email address	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate,  
Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or  
any other Gazetted Officer or an Officer of  
the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank  
or any Nationalised Bank.)

Signature with seal & Date.

\*Delete whichever is not applicable.

बैंक का नाम:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन

( \_\_\_\_\_ के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

1.		निदेशक का व्यक्तिगत ब्यौरा	
	क.	पूरा नाम	
	ख.	जन्म तिथि	
	ग.	शैक्षिक योग्यता	
	घ.	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
	ङ	स्थायी पता	
	च.	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल पता/ टेलिफोन नंबर	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता	
	झ.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव ( बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 (3-ए) अधिनियम 1970,1980	
	ड	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II		निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी	
	क	बैंक से संबंधित रिश्तेदारों यदि कोई है, की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें )	
	ख	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो ( देखें. धारा 299 (3) तथा धारा 300	
	ग	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो ( बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार	
	ङ	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	च.	उनके द्वारा तथा/ अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं यदि कोई है तो	
	छ	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता रही हैं ।	

**Annexure-”B’**

Name of Bank :		<b>PUNJAB &amp; SIND BANK</b>
<b>Declaration and Undertaking by Director*</b>		
(with enclosures as appropriate as on _____)		
<b>I.</b>	<b>Personal details of director</b>	
a.	Full name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
<b>II</b>	<b>Relevant Relationships of director</b>	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
		क. व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित	
IV		निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही	
	क	यदि कोई निदेशक व्यवसायिक संस्था / निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यावसाय में किसी समय उन्हे प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण दें।	
	ख	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा /उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	घ	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	
	ङ	क्या निदेशक या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ग) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
	च	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है	
	छ	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है।	
V		उपरोक्त मद संख्या I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।	
		वचन	
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा।	
	स्थान:	निदेशक के हस्ताक्षर	
	दिनांक:		
	vi बैंक की नामांकन समिति की टिप्पणी		
	स्थान:	हस्ताक्षर	
	दिनांक:		



III	<b>Records of professional achievements</b>	
	a.	Professional achievements relevant
IV.	<b>Proceedings, if any, against the director</b>	
	a.	If the director is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director
	d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?
	e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?
	f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars
	g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA.  <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>
V.	<b>Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper</b>	
	<b>Undertaking</b>	
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.		
Place :	Signature of director	
Date :		
<b>VI. Remarks of Nomination Committee of the Bank</b>		
Place :	Signature	
Date :		



### नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक  
प्रधान कार्यालय 21-राजेन्द्र प्लेस,  
नई दिल्ली -110008  
महोदय,

### निदेशकों का चुनाव

आपके दिनांक 19.05.2014 के नोटिस के संदर्भ में मैं -----पंजाब एण्ड सिंध बैंक के -----इक्विटी शेयरों रु.10/-प्रति शेयर का धारक हूँ दिनांक 30 मई 2014, शुक्रवार चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि पर एतद् द्वारा श्री/श्रीमती -----पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी को दिनांक 30.06.2014 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी अधिनियम (एक्विजिशन तथा ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग)की धारा 9(3)(i) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत करता हूँ ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयर्स की सं.	
रजि. पत्रा नं. ( यदि अभौतिक नहीं है )	
डी पी आई डी नं. एवं ग्राहक आई डी. नं.(यदि अभौतिक है )	
स्थान:	
दिनांक	

#### टिप्पणियाः

- . किसी कॉर्पोरेट निकाय के नामांकन के मामलों में, नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जोकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा उक्त बैठक में हस्ताक्षरित है जिसमें इसको पारित किया गया, संलग्न की जानी चाहिए।
- . उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल करने चाहिए।
- . यदि उपरोक्त मदों को खाली छोड़ दिया जाता है या संबंधित विवरण सही नहीं पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

महाप्रबंधक / General Managers



श्री श्री.एस.सचदेवा  
Shri S. S. Sachdeva



श्री एस.जी.सी.सर्वस्व  
Shri M. C. Srivastava



श्री श्री.एस.सिंगी  
Shri S. S. Singh



श्री आर्.एस.भटिया  
Shri I. S. Bhatia



श्री हर्ष सिंह  
Shri Harsh Singh



श्री दीपक मेशी  
Shri Deepak Mahesh



श्री एस.पी.एस.कोहली  
Shri S. P. S. Kohli



श्री आर.सी.नारयण  
Shri R. C. Narayan



श्री श्री.एस.दुग्गल  
Shri G. S. Duggal



श्री दीदी.शर्मा  
Shri D. D. Sharma



श्री वीरेंद्र लुगा  
Shri Vamsraj Ladga



श्री एस.सी.दुग्गल  
Shri S. C. Duggal



श्री सार्.के. यर्रा  
Shri S. N. Yerra



# عاشوراء و شهر ذی‌حجه

در بیان فضیلت و مناقب آن

تألیف و تصحیح: آیت‌الله العظمی آقا سید محمد باقر طباطبائی

ترجمه: آیت‌الله العظمی آقا سید محمد باقر طباطبائی